जन सुनवाई विवरण

मैसर्स अंबुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड, निकट ग्राम – खेरवाड तहसील जायल, रुपासर एवं डिडियाकलां तहसील मुन्डवा जिला नागौर द्वारा मारवाड मुन्डवा चूना पत्थर खदान खनन् पट्टा–।।, (खनन पट्टा कमांक 03/94) खनन पट्टा क्षेत्र 635 हैक्टर की उत्पादन क्षमता में विस्तार 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष, शीर्ष मिट्टी 0.16 मिलियन टन प्रतिवर्ष, अपषिष्ट (ओवरबर्डन/इन्टरबर्डन) 0.58 मिलियन टन प्रतिवर्ष (कुल उत्खनन 2.74 मिलियन टन प्रतिवर्ष) करने के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाब्त जन सुनवाई दिनांक 30.09.2022 (शुक्रवार) को समय प्रातः 12.00 बजे परियोजना स्थल एच. ई. एम. एम. वर्कशाप के पास, खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम ईनाणा, तहसील मुन्डवा जिला नागौर (राजस्थान) मे की गई।

जन सुनवाई मे उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है। जन सुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्रों "दैनिक नवज्योति एवं दैनिक भास्कर के क्षेत्रीय संस्करण एवं फाईनेशियल एक्सप्रेस के राष्ट्रीय संस्करण में दिनांक 30.08.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी। जनसुनवाई का विवरण निम्न प्रकार हैः–

सर्वप्रथम क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर श्रीमती सविता, ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि आज की जन सुनवाई अंबुजा सीमेन्ट के चूना पत्थर खदान खनन् पट्टा–।। (खनन पट्टा कमांक 03/94), खनन पट्टा क्षेत्र 635 हैक्टर की उत्पादन क्षमता में विस्तार 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष शीर्ष मिट्टी 0.16 मिलियन टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट (ओवरबर्डन/इन्टरबर्डन) 0.58 मिलियन टन प्रतिवर्ष (कुल उत्खनन 2.74 मिलियन टन प्रतिवर्ष) करने के लिये पर्यावरण स्वीकृति अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, नागौर श्रीमान् मोहन लाल खटनवालिया, की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। क्षेत्रिय अधिकारी, ने कहा कि आप लोगों के पर्यावरण के सम्बन्ध मे जो भी सुझाव, सवाल, आक्षेप आदि हो तो आप मौखिक और लिखित रुप से यहां दे सकते है। प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध मे ईकाई प्रतिनिधि द्वारा विस्तृत रूप से बताया जायेगा।

अंबुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड के कंसलटेंट मैसर्स जे. एम. एन्वायरो नेट प्रा. लि. जयपुर के प्रतिनिधी श्री रमेश कुमार नेहरा ने उपस्थित समुदाय को प्रस्तावित चूना पत्थर खदान खनन् पट्टा–।। (खनन पट्टा क्रमांक 03/94) खनन पट्टा क्षेत्र 635 हैक्टर की उत्पादन क्षमता में विस्तार 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष शीर्ष मिट्टी 0.16 मिलियन टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट (ओवरबर्डन/इन्टरबर्डन) 0.58 मिलियन टन प्रतिवर्ष (कुल उत्खनन 2.74 मिलियन टन प्रतिवर्ष) करने के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाब्त परियोजना के बारे मे दृश्यावली (पॉवर पोईंट प्रेजेंटेशन) के द्वारा विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजुदा पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति की बात करें तो

लगातार -1

मैसर्स इण्डोनिपो स्पेशल सीमेन्ट लिमिटेड के पक्ष में चूना पत्थर खनन उत्पादन क्षमता 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए दिनांक 18.01.2007 को जारी की गई थी जो कि दिनांक 28.03.2017 को मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तान्तरित की दी गई। मौजुदा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की पालना का प्रमाणीकरण क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 03.03.2022 को किया गया है। मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के द्वारा जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत सम्मति दिनांक 15.09.2020 जिसकी वैधता दिनांक 31.08.2025 तक है। प्रस्तावित प्रयोजना हेतु लोक सुनवाई के दस्तावेज राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में दिनांक 27.07.2022 को प्रस्तुत किये गये है जिसके संदर्भ में जन सुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्रों "दैनिक नवज्योति एवं दैनिक भास्कर के क्षेत्रीय संस्करण एवं फाईनेशियल एक्सप्रेस के राष्ट्रीय संस्करण में दिनांक 30.08.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी। प्रस्तावित प्रयोजना के सम्बन्ध में बात करे तो चूना पत्थर खदान खनन् पट्टा–।। खनन पट्टा क्षेत्र 635 हैक्टर की उत्पादन क्षमता में विस्तार 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष रहेगा जो ग्राम खेरवाड तहसील जायल, रुपासर एवं डिडियाकलां, तहसील मुन्डवा जिला नागौर, राजस्थान में स्थित है साथ ही इकाई प्रतिनिधि ने भौगोलिक स्थित की बारे में विस्तृत जारी दी। पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्तावित विस्तार परियोजना के लिए आवश्यकताओं की बात करे तो मौजुदा प्रयोजना में पानी की आवश्यकता लगभग 16 केएलडी है तथा प्रस्तावित प्रयोजना के लिए लगभग 39 केएलडी एवं कुल पानी की आवश्यकता लगभग 55 केएलडी रहेगी। जिसके लिए मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स मिनरल्स लिमिटेड की मातासूख लीगनाईट माईन्स से पानी की आपूर्ति की जायेगी जिसके लिए दिनांक 06.02.2019 को मैसर्स अंबुजा सीमेन्ट लिमिटेड एवं मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स मिनरल्स लिमिटेड के बीच समझौता किया गया एवं प्रस्तावित प्रयोजना के लिए विद्युत की बात की जाये तो 100 किलोवाट की आवश्यकता होगी जो कि राज्य विद्युत बोर्ड से ली जायेगी। जन शक्ति की बात की जाये तो मौजुदा 17 व्यक्तियों की जनशक्ति है तथा प्रस्तावित प्रयोजना के लिए 29 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल 46 व्यक्तियों की जनशक्ति आवश्यकता होगी तथा योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रयोजना में लागत की बात की जाये तो मौजुदा प्रयोजना में लागत 95 करोड़ रूपये है तथा प्रस्तावित प्रयोजना के लिए अतिरिक्त रु. 23.96 करोड़ रुपये होंगे। इस प्रकार कुल लागत 118.96 करोड़ रूपये होगी। श्री नेहरा ने खनन उत्पादन प्रक्रिया, उपलब्ध खनन मात्रा, खनन कार्यदिवस, मौसम, जल, वायु एवं भू पर्यावरण पर सम्भावित प्रभाव एवं समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की जानकारी भी दी साथ ही उन्होने सम्भावित प्रदूषकों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के मानकों के अनुसार नियंत्रित करने की कटिबद्वता भी दोहराई। श्री नेहरा ने बताया कि कम्पनी जल एवं मृदा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पौधारोपण एवं पर्यावरण के विकास आदि पर कार्य किया जायेगा।

लगातार -2

इसी दौरान (प्रस्तावना के प्रस्तुतिकरण के दौरान) 15 से 20 लोगों के जन समूह के द्वारा अम्बुजा के विरोध में नारे बाजी करते हुये उक्त स्थान पर आयें। ईकाई के प्रतिनिधि श्री मनोज अग्रवाल द्वारा लोगों को शान्त रहने एवं प्रस्तावित योजना के बारें में पूर्ण जानकारी सुनने की अपील की तथा इसके साथ ही **श्रीमान मोहन लाल खटनवालिया अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, नागौर** ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि अंबुजा सीमेन्ट की प्रस्तावित परियोजना के बारे मे जो जन सुनवाई की जा रही है उसे आप ध्यानपूर्वक एवं धैयपूर्वक सुने एवं इस योजना से होने वाले फायदा एवं नुकसान को आप मंच पर साझा कर सकते है। जो आंगतुक है आप आराम से बैठ जाये अपनी बात तसल्ली से बतायें यदि आपकी कोई परिवेदना, कोई आक्षेप कोई सुझाव आप लिखित में देना चाहे लिखित में दे दिजिये और यदि आप मौखिक बताना चाहते है तो पूरी उसकी रिर्कोडिग होगी आप अपना नाम अपने सुझाव अपनी आपत्ति को आसानी से दर्ज करोयें हम आप लोगों की आपत्ति, सुझाव ये सुनने के लिये ही यहां आये है। परन्तु जन समूह द्वारा पुनः नारे बाजी शुरु कर दी। ए.डी.एम. साहब द्वारा पुनः अपील की गई की आप अपनी आपत्ति/सुझाव जरुर दर्ज करायें। अपना नाम बताये आपकी बात आगे तक पंहुचाई जायेगी।

सुरेन्द्र दौतड निवासी नागौर एवं अन्य साथ आये नागौर और मुन्डवा के लोगों के द्वारा नारे–बाजी कर कहा की आज से पहले जिसने भी बात रखने की कोशिश की उसको थाने में डाल दिया गया। कम्पनी नियम बनाती है 200 कि.मी. के दूर के लोगों को ही रोजगार देंगें, होती कौन है ये कम्पनी नियम बनाने वाली इनकी बाप की जमीन थी क्या यहां के लोगो की जमीन थी यहां के लोग यहां का धुंआ पीते है यहां का धुंआ हमारे खेतों/घरों में आता है। यहां के 30 कि.मी. के एरिये में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। खेती खत्म हो गई। यहां सभा की जा रही है किस उद्देश्य से यहां सभा की जा रही है। यहां कोई रोजगार नहीं, पर्यावरण की अनुमति नही, हमारे रहते अम्बुजा की कोई मनमर्जी नहीं चलेगी।

साथ ही पुनः नारे बाजी शुरु हो गई एवं एक व्यक्ति द्वारा कहा गया ये कम्पनी वाले रात्री 12 बजे धुंआ खोलते है एवं सुबह 4 बजे तक सब सोते रहते है। गांव के लोग रोजगार के लिये जाते है तो कहते है कि राबडियावास चले जाओं यहां आपको काम नहीं देंगें। किसानों को दुतकार के बाहर निकालते है। बाहर के लोगों को यहां काम देते है। मुन्डवा के युवा रोजगार के लिये भटक रहे है। यदि रोजगार के लिये युवां भटकेगा तो गलत राह पर जायेगा। किसानो और युवाओ के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या इन्होने कभी पूछा किसानों से क्या आपको क्या दिक्कत है क्या कमी है? क्या इन्होनें युवाओं के रोजगार के लिये कोई कैम्प लगाया है? आज आ गये प्रदूषण की अनुमति लेने। क्या प्रदूषण नहीं है मुन्डवा में सड़को की हालत खराब हो गई है। किसी गली में कोई सड़क नहीं छोडी है कोई मुन्डवा की जगह नहीं छोडी है जिसमें दुष्परिणाम झेलना नहीं पडा हो। मुन्डवा को खत्म कर चुके है।

लगातार -3

शिवराज ने कहा की अम्बुजा सीमेन्ट प्लान्ट से निकलने वाले ट्रक हाईवे को जाम कर देते है जिससे लोगों को 15 मिनट खड़ा रहना पड़ता है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ए. डी. एम. साहब द्वारा निवेदन किया की आप अपना पूरा नाम बता दीजिये, आप अपनी पूरी बात रखो, आपकी बात आगे पंहुचाई जायेगी। आपके लिये ही यह जनसुनवाई है, मैं पूरा मुन्डवा हूं और पूरा मुन्डवा मेरे साथ है। मुझे नहीं पता की आज शाम को मेरे साथ क्या होगा? मुझे पता है कम्पनी द्वारा मेरी आवाज आज शाम को दबा दी जायेगी। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जायेगा। प्लान्ट मुन्डवा में लगा हुआ है, सारा नुकसान मुन्डवा का हो रहा है, परेशान हमे कर रहे है ऐसा कैसे चलेगा।

एक व्यक्ति द्वारा बताया गया की हम इतना ही चाहते है कि फैक्ट्री ईन्होने मुन्डवा के लोगों को दफना कर खडी करी है और नियमों को ताक पर रख कर यदि ईन्होने एक भी नियम अपनायें हो तो सारा गावं एक साथ आत्मदाह करने को तैयार है। पर्यावरण के नाम पर इन्होने इतने नियम बताये है और नियमों को ताक पर रखकर ये पर्यावरण की अनापत्ति लेना चाह रहे है। हमारे यहां नाडी, तालाब, जीव जानवर कुछ नहीं है क्या? ए. डी.एम. साहब के निवेदन करने पर उन्होने अपना नाम पूरा मुन्डवा, भारतीय किसान संघ बताया।

ओम प्रकाश ईनाणिया, पूर्व संरपच ईनाणा ने बताया की अंबुजा सीमेन्ट प्लान्ट मुन्डवा में लगा हुआ है तथा क्रेशर एवं पूरा खनन क्षेत्र ईनाणा गांव में आते है। पर्यावरण अधिकारी महोदय एवं ए.डी.एम. साहब से निवेदन है कि जो अभी पर्यावरण से सम्बन्धित जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बताया गया है कि आस–पास में कोई तालाब नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईनाणा तालाब है जो कि यहां से 15 से 20 कि.मी. दूर बताया है। मुन्डवा के तालाब का नाम नहीं है, पोखंडी तालाब का नाम नहीं है, गेन तालाब का नाम नहीं है ना ईनाणा के तालाब चौकडी नाडी का नाम नहीं है मोहनी नाडी का नाम नहीं है और डिडिया नाडी का नाम नहीं है। किसी भी प्रकार के तालाब का नाम नही है। एक ईनाणा की पूना नाडी जो कि डिडवाना रोड पर है जो यहां से 10 कि. मी. दूर है उसकी दूरी ढाई किलोमीटर बताई है। इतनी तो ये झूठी रिपोर्ट पेश कर रहें है। यहां आस–पास सैकडों तालाब, नाडा –नाडी है जो इस प्रदूषण से, इस प्लान्ट से, खनन क्षेत्र से दूषित होंगें। हमारे यहां के आस–पास के सभी लोग इन्ही नाडी, तालाबों का पानी पीते है। अतः ए. डी.एम साहब से निवेदन है कि यह पानी दूषित नहीं होना चाहिये। बाकी मुन्डवा के नागरिक जो बोल रहे है वो बिल्कुल सत्य है कि ईन्होने जब प्लान्ट लगाया तो कम्पनी के अधिकारियों ने 2010 में कहा था कि यहां पर ऑटोमेटिक प्लान्ट लगेगा जिससे धुंआ नहीं निकलेगा लेकिन यहां बहुत धुंआ निकलता है। मैंने यहां के अधिकारियों को अवगत कराया है कि यहां से धुंआ निकल रहा है जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिये सही नहीं है। हाईवे पर भी जाम रहता है, प्रशासन को भी अवगत कराया है। दुर्घटना की आंशंका रहती है गांव के किसानों और बेरोजगार लोगों की बात में रख रहा हूं।

लगातार -4

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की ओर से दिनांक 30.08.2022 को दैनिक भास्कर के नागौर पृष्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना विस्तार के हेतु लोक सुनवाई में हमें इस कम्पनी से निम्न आपत्ति हैं :–

1. हम ईनाणा में रुपासर क्षेत्र के किसान वर्ष 2008 से पुर्नवास, रोजगार, जमीन व लीज की की समान राशि देने, चिकित्सा, शिक्षा आदि की मांगों को लेकर कम्पनी कार्यालयों के बार–बार चक्कर काट रहे है। लेकिन पिछले 14 वर्षों से हमें केवल आश्वासन ही मिला है।
2. निर्माण की राशि कम है इसलिये नई डी. एल. सी. रेट से सभी को समान भुगतान करावें।
3. कम्पनी द्वारा क्षेत्रीय निवासीयों की मांगों का समय पर निस्तारण नहीं करने के कारण बेरोजगारी, भुखमरी, मानसिक अवसाद, दिमागी हालात जैसी गम्भीर समस्यायें पैदा हो जाती है। कम्पनी द्वारा माईनिंग के माध्यम से कम्पन्न से मकान गिर रहे है और जो पानी के टांके है उनमें दरारें आ गई है व छत गिर रही है। जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। इस कम्पनी से निकले जहरीले धुंऐ से क्षेत्र में सैंकडों प्रकार के रोगों से शिकार हुये है इसके साथ ही पालतु जानवर कई प्रकार की बिमारियों से ग्रस्त हुये है। कम्पनी में बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया जिससे यहां पर चोरी जैसी घटनायें बढ रही है। साथ ही अन्य अपराधिक घटनाओं में दिनोदिन बढोतरी हो रही है। जबकि क्षेत्र के पढे लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे है। कम्पनी में स्थानीय लोगों को कही भी रोजगार नहीं दिया गया है, जब रोजगार की मांग करते है तो ये कहते है 200 कि.मी. दूर का व्यक्ति होना चाहिये, अरे भाई 200 कि.मी. दूर का व्यक्ति होगा तो यहां पर प्लांट किस लिये लगाया। किसानों ने जमीन किस लिये दी है? कम्पनी ने समय–समय पर निकलने वाले रोजगार, टेन्डर सहित अन्य गतिविधियों की आस–पास के लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, जो यहां से 200–300 कि.मी. दूर बैठें है सारा काम उन्ही को दिया जाता है। नाडी, तालाब, ओरण–अंगोर की जमीन कम्पनी को नहीं दी जायें यह जमीन देने से अंगोर नहीं रहेंगें और नाडी तालाब में पानी की आवक कम हो जायेगी जिससे क्षेत्र के साथ–साथ पशुधन पानी के लिये तरस जायेंगें।

श्रीमान् से मेरा निवेदन है से सारी मांगों को हमने कलेक्टर महोदय के नाम, एक अम्बुजा हैड के नाम जो यह ज्ञापन बनाया है उस पर विचार किया जाये और किसानों को आश्वासन नहीं जब तक आप इन मांगों को पूरा नहीं करोगें तो जो यह एन. ओ. सी. दी जा रही है हमारी रिक्वेस्ट है पर्यावरण अधिकारी जी से की एन. ओ. सी. नहीं दी जायें, अगर आप एन. ओ. सी. दोगे तो किसान यहां खनन नहीं करने देंगें। ये किसानों ने कहा है सारे गांव वाले मिल के जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हमारे को समान रेट से भुगतान नहीं होगा तब तक हम खनन नहीं करने देंगें।

लगातार -5

ग्राम रुपासर के जैसे उदाहरण के तौर पर पांचाराम जी के जैसे तीन पुत्र है तो तीनों पुत्रों को उन्होने अलग–अलग रेटे निर्धारित कर दी, उन्होने मकानों का सर्वे किया नही इसलिये मेरी विशेष अनुरोध है अम्बुजा के अधिकारियों और ए.डी.एम. साहब से की ये मकानों के पैसे कम चढे है किसी के ज्यादा चढ गये, जमीनों के पैसे भी कम चढ गये किसी के ज्यादा तो इसलिये मेरा अनुरोध है की समान रेट से पैसे दिये जायें।

फिर कुछ लोगों ने नारे–बाजी शुरु कर दी।

ए.डी.एम. साहब ने कहा की पहले अपना नाम बताये फिर अपनी बात रखें।

राम निवास राव निवासी नागौर किसान संघर्ष समिति ने कहा की मैं भारतीय किसान संघ जिलामन्त्री मुन्डवा, मुन्डवा का रहने वाला हूं डाकखाने के पास घर है पहले पुराना थाना था अब थाना आगे चला गया। सिर्फ चार लाईने बोलनी है झूठ के पुलिन्दे को बन्द करवा दो तो बहुत ही बेहतर रहेगा, आने वाली पीढी बडी सुखी रहेगी।

अभी–अभी श्रीमान् जी इन्होने कहा की चार कि. मी. दूर है मुन्डवा गांव..... माने रोनो आवे, थाके जैसा समझदार आदमी हो आज आप चाल ने देख लिजो मुन्डवा कतरी दूरी पर है, 1 नम्बर वार्ड में है ये मुन्डवा के यह अम्बुजा..... है कि नहीं अफसोस है इतने भले आप जैसें सज्जनों के सामने ये झूठ बोल रहे है तो हम जैसे आम आदमियों के साथ इनका व्यवहार क्या होगा? आप खुद कल्पना कर सकते है। हमारे तो कल्पना अतीत है। सोच के देखो। मारवाडी में कैवे है जिवती माखी निकल गया शर्म भी कोणी आवे। अफसोस की बात है कोणी बोलो ..... लाखोलाव तालाब ऐतिहासिक तालाब है कि नहीं, नाम नहीं है श्रीमान जी, तेजा महाराज का ज्ञान तालाब यहां अम्बुजा फैक्ट्री के एकदम बाउन्ड्री के सटा हुआ है भी नहीं, अम्बुजा फैक्ट्री का केमीकल का पानी, पूरा का पूरा और मुन्डवा नगरपालिका के चेयरमैन खुद जाकर के शिकायत की थी, सारा का सारा केमीकल का पानी ज्ञान तालाब में गिर रहा था और अम्बुजा के शायद कोई अधिकारी थे वो चिपकू अधिकारी थे उन्होने कह दिया की भाई साहब हम ठीक करवा देंगें और उनके भी कोई उपाय नहीं था ठीक है ना ..... कुल मिलाकर झूठ के पुलेन्दे को आप ही कुछ न्याय करो..... आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, आप मंचस जितने भी अधिकारी हो उनसे मेरा निवेदन है करबद्ध, अधिकार तो मेरा नहीं है पर एक बार मुन्डवा का परिभ्रमण कर लेना कृपया हाथ जोडकर कह रहा हूं। मुन्डवा के 1 नम्बर वार्ड में फैक्ट्री लगी है कह रहे है कि 4 कि.मी. दूर है।

यह ही नही अफसोस की बात है सुनो..... सोचने की बात यह है श्रीमान जी पर्यावरण की सुनवाई के लिये जो भी कहा गया है बडा छिपाकर कहा गया है। अखबार के एक छोटे से कोने में दिया गया था हमारे जैसें अनजान आदमी को तो पता ही नहीं चलता है मैं तो रह गया मारवाडी जाटू आदमी

माने तो ठाईनी पडे, कई होवें। और आज यहां भैला कर दिया पानी भी नहीं पा सकेगा, थाने पानी पायों, मां पानी पावा जैडा भी कोणी, अफसोस की बात है ऐ कई गांव बचाई।

सारा गांव प्यासा है तालाब को तो खोद दिया आपने ....धन्यवाद...... आपकी कृपा चाहिये। मैं मेरा प्रतिवेदन आपके सामने पेश कर रहा हूं लिखित में भी है इसकी मेरे को रिसीप्ट की जरुरत पड़ेगी।

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जिला नागौर जिनकी सीट पर आप विराजमान है न्यायाधिपति ..... ठीक है ना ..... अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा खनन परियोजना विस्तार हेतु जन सुनवाई में आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

यह आपत्ति **भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश, जोधपुर** प्रान्त की है। यहां मुन्डवा ईकाई भी है। सर्वप्रथम ...... पूर्व में 2010 में हुई जन सुनवाई में सभी स्थानीय लोगों, किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई लेकिन बिना आपत्तियों का निराकरण किये बगैर कम्पनी को एन.ओ.सी. दे दी गई, दे देवे सरकार है आपा की कर सका....... माई बाप है...... आपा की कर सका.... पर है घोटालो.......

कम्पनी द्वारा जो खनन के लिये जमीन आवाप्त की गई और आगे भी जो प्रस्तावित है उसमें ज्यादातर गोचर, नाडी तालाब, कैचमेन्ट एरिया और सरकारी जमीन है जो सामुदायिक रुप से किसानों और पशुपालको के लिये उपयोगी है। श्रीमान जी किसानों का पशुपालन भी एक तरह का व्यवसाय है खेती कितनी होवे इस मारवाड में अकाल पड जाता है, पशुपालन से ही चलता है अगर ये नाडी–तालाब ही नहीं दिखा रहे है तो वास्तविकता में पूर्व सरपंच ओम प्रकाश ईनाणिया ने बता ही दिया था की ईनाणा में नाडिया, मुन्डवा में नाडिया है। लाखोलाव तालाब एक ऐतिहासिक तालाब है पोखंडी तालाब ऐतिहासिक तालाब जो आपके यहां से 2 कि.मी. है मुन्डवा के अन्दर है। खनन से पेड–पौधौ का विनाश होगा साथ ही क्षेत्र में रहने वाले जंगली जीवों को भारी मात्रा में क्षति हो रही है। जिससे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। कम्पनी सिर्फ क्षेत्र में रहने वाले जीवों का आवास उजाड़ रही है और विनाश कर रही है, विनाश के लिये तो आप सभी को स्वीकार करना पडेगा, विनाश हो रहा है, मगर अम्बुजा में कोई नौकरीवश आया है तो उनको भी स्वीकार करना पडेगा की विनाश हो रहा है।

खनन के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग से आस–पास के गांवों और घरों में दरार पैदा हो रही है। जब ये और विस्तार होगा तक बड़े विस्फोट हो सकते है और भोला – भाला पशुपालक और साफा बान्धिया किसान भी मर सके, भाटा की भचेड़ सू लाईम स्टोन खनन से कार्बनडाई ऑक्साईड भी बहुत मात्रा में उत्सर्जित होती है आप तो भणिया पढ़िया ज्ञानी हो की कार्बनडाईऑक्साईड निकले मातो कोई पढ़िया लिखिया कोनी मातो चूना जाणा है। जो कि अभी पर्यावरण को बहुत दूषित कर रहा है। जब इसका विस्तार होगा तब स्थिति और भी भयावह हो जायेगी। ये प्रदूषण किसान और जमीन दोनो को बंजर कर देगा किसान ही भापड़ा बंजर वे जाई।

Danita

लगातार -7

आने वाले समय में यह क्षेत्र दमा और अस्थमा का मरीज होगा इसलिये ये मुन्डवा में 2–3 अस्पताल अभी शुरु में खोल चुके है कि मरीज आने वाले हैं इसलिये तैयारी पहले ही करते है, अफसोसजनक बात है यह कि खनन से होने वाले भौगोलिक असंतुलन से इस क्षेत्र में भूकम्प की क्षति हो ने की संभावना है जो इस क्षेत्र के लिये विनाशकारी है, खनन से जमीन बंजर होती जा रही है। खेती का रकबा लगातार कम होता जा रहा है। विकास की इस अंधी दौड़ ने किसान को हासिये पर ला दिया गया है। सरकारे तो सिर्फ उद्योगपतियों की सुनती है। हकीकत तो यह कडवी सच्चाई हो सकती है कि उद्योगपतियों की सुनवाई होती है। किसानों की आवाज को दबा दिया जाता है भले ही डॉक्टर साहब भी हैं पर सगलाने दबा दिया जाये। यदि खेती, किसान की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो आने वाले समय में अनाज के लाले पडेंगें, लाईम स्टोन खाना पडेगा। आप से सादर निवेदन है कि आपत्तियों के निराकरण के बिना इस विस्तार की अनुमति नहीं दी जाये। भारतीय किसान संघ इस खनन परियोजना का पूरजोर विरोध करता है। यदि उपरोक्त आपत्तियों के निराकरण के बिना इस विस्तार की अनुमति दी गई तो संघ आन्दोलन के पथ पर मजबूर होगा। धन्यवाद, तेजाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, किसान एकता जिन्दाबाद।

श्री सहदेव चौधरी निवासी नागौर :– राम राम साहब मंच पर विराजमान ए.डी.एम. साहब, एस. डी. ओ. साहब, पर्यावरण अधिकारी और सम्मानित मंच नगरपालिका मुन्डवा के चैयरमेन साब आप सब पधारे हुये नगरपालिका मुन्डवा के भाईयों, गांव से पधारे सारे सरपंच, जन प्रतिनिधीगण और सारे मौजूद भाईयों .....

अंबुजा में समझता हूं हमारे लिये बहुत बडी समस्या का नाम बन गया है कारण ये हुआ है कि पिछले 20 साल से अम्बुजा हमारे बीच में है और जब अम्बुजा आई थी तब कल्पना यह की गई थी की अम्बुजा आयेगी और लोगों का बहुत भला होगा। मैं ए.डी.एम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा की अम्बुजा ने जितने भी काम किये है मैं समझता हूं सबसे बडा जो आज इनको जिस जमीन पर ये माईन करना चाहते है वो जमीन में से आधी जमीन किसान की है आधी जमीन सरकार की है। जमीन जो किसानों की है उनका पूरा पैसा अभी तक पूरा चुकाया नहीं है और दूसरी बात यह है कि जो गर्वमेन्ट की जमीन है वो भी नियमानुसार नहीं है। क्योंकि उसमें सरफेस राईटस के लिये कलेक्टर को जो है इसमें सरकारी चीजें है सारी की सारी चीजों का निर्धारण करना चाहिये था की ये सारी चीजें स्कूल है, ढ़ाणियां है, पानी पीने के टांके है, रास्ते है लेकिन किसी को प्रीजर्व नहीं किया है इनको हैंडओवर कर दिया गया, मैं समझता हूं ये बहुत बडा एक तरह से घोटाला हैं और अम्बुजा को जितनी जमीन दी गई है पूरी की, मेरा निवेदन है कि एस. आई. टी. से जांच कराई जायें की इसमें किस तरह के लोग इन्वोल्व थे और ये सारे झूठे डाटा के आधार पर सारा कार्य हो रहा है। मुझे याद है अम्बुजा ने शुरु में आये थे मुझे याद है कि कह हे थे की कम से कम 3000 लोगों को काम देंगे, मैं पर्यावरण अधिकारी से और जिला उद्योग अधिकारी से कहना चाहूंगा की अपनी पुरानी फाईलों को देखें की उन्होंनें जितनी भी हमारे साथ मिटिंगें हुई है उसमें

लगातार -8

हमेशा यह कहा है कि हम सारे बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगें आप इसका विरोध मत करो। हमने विरोध इसलिये कम किया की नौकरी मिलेगी पर मुझे कहते हुये अफसोस है कि आज जो स्थिति है उसके अन्दर न तो किसानों को पूरा पैसा मिला, न किसानों को के अन्दर आपस में टकरा दिया, किसी को किता दे दिया, किसी को किता दे दिया और इसके अलावा जो कम्पनी के अधिकारी है उन्होने सीलिंग कानून का वोयलेशन किया और उसके हिसाब से जो जमीनों के प्राईवेट एग्रीमेन्ट किये वो एग्रीमेन्ट आपको दिये इन्होंने, हमें ये जो पैसा मिलना चाहिये उसके बाद उनको ये पैसा नहीं दिया गया, इसलिये मेरा रेवेन्यू अधिकारी से निवेदन है की ये सारा का सारा वाईलेशन है आगे इन्होने सारा जो जमीने ली है जो कब्जा लिया है वो धोखाधड़ी करके, इसमें पुलिस अधिकारियों की और रेवेन्यू अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि पूरे प्रकरण की जांच कराओ ये सैकड़ों लोग है जिनसे इन्होने बेवकूफ बनाकर, झांसा देकर के और इनकी जमीन ले ली और आज तक इनको पैसा नहीं मिला इसलिये ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप जो पर्यावरण के लिये स्वीकृति मांग रहे उस जमीन में धोखाधड़ी और इसमें इस तरह का इन्वोलमेन्ट है, दूसरा मेरा यह निवेदन है कि सारी की सारी जमीन पहाड़ी क्षेत्र में आती है जिसकी वजह से आस–पास मुन्डवा के चारों तरफ 16 तालाब है, लेकिन इन्होंने जो पर्यावरण रिपोर्ट बनाई पिछली बार इन्होने झारखण्ड महादेव के नाम से रिपोर्ट बनाई, अबकी बार इन्होने वो किसी का नाम नहीं दिया, जबकि इनको कानूनन ये सब कार्य करना चाहिये था, मेरा पर्यावरण अधिकारी से निवेदन है ये जो रिपोर्ट है ये कानून सम्मत नहीं है मतलब ये रिपोर्ट कानून सम्मत नहीं है। जो आपका एक्ट बोलता है उसके अनुरुप इसमें पूर्तियां नहीं की गई है और खानापूर्ती के लिये झूठे दस्तखत करके कागजात आपको दिये जा रही है जो कतई वाजीब नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है इस तथ्य की पूरी जांच की जायें इसमें झूठे तथ्य दिये गये है। पिछली बार जो रिपोर्ट दी गई वो 216 पेज की रिपोर्ट थी और ये अब 12 पेज की रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी, बेवकूफ बनाने के लिये, जिसके अन्दर कोई तथ्य नहीं है कि कौनसा काम कैसे होगा, कौनसी मशीन लगेगी, उससे कितना वाईब्रेशन होगा, कितने घरों का नुकसान होगा, इन्होने सारा समय झूठा दर्शाया है कोई कम्पनी नहीं है अबकी बार, कम्पनी ने ही अपने नाम से ये फर्जीवाड़ा शुरु कर दिया है, मेरा आपसे निवेदन है की इस रिपोर्ट की जांच कराई जाये, दूसरा निवेदन यह है कि ए.डी.एम. साहब की मेरी यह रिपोर्ट है जो आपके पास है वो दूसरी है और पब्लिक डोमिन में जो रिपोर्ट डाली है वो दूसरी है यह जो फर्जीवाड़ा है कि दोनों रिपोर्ट अलग–अलग है तथा दोनों रिपोर्ट के तथ्यों में भेद है। पर्यावरण अधिकारी से मेरा निवेदन है आपका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है क्या कम्पनी ने पिछले सालों में जो पर्यावरण स्वीकृति ली है उसके अन्दर उनको प्लान्ट के अन्दर 85 हैक्टर में प्लान्टस् लगाने चाहिये थे, क्या इन्होने लगाये 85 हैक्टर में प्लान्ट फिर इनकी जो मॉनीटरिंग सिस्टम है कह रहे है कि वायु के प्रदूषण की जांच होगी, मन्थली करेंगें, मुझे बताईये वायु का प्रदूषण मन्थली करेंगें तो क्या दिन में चार बार करते है, छः बार करते है, आपकी जो मॉनीटरिंग सिस्टम में लिखा की मन्थली करेंगें।

लगातार -9

इसी प्रकार आपने जितने भी पैरा मीटर मॉनीटरिंग के दिये है वो कोई भी नियमानुसार नहीं है। सारे पैरामीटर्स गलत है और इनको कार्य करने की मंजूरी नहीं दे सकते । मेंरा निवेदन है कि ये सब फर्जीवाड़ा का खेल है यहां कुछ बताते है वहां कुछ करते है। हम जो बोलते है उसकी रिकार्डिंग को एडिटींग कर दिया जाता है और वो दिया ही नही जाता है। पिछली बार हमने विरोध किया था मुझे एक बात बताओं किसी शहर के अन्दर प्लान्ट, ये रेड प्लान्ट है सीमेन्ट प्लान्ट रेड केटेगरी में आता है.....आता है कि नहीं .....आता रेड प्लान्ट सिटी से कितनी दूर होना चाहिये मिनिमम 4 किलोमीटर..... कहां है ये डिसटेन्स 4 किलोमीटर..... ये बता रहे है न वार्ड नम्बर 1 में है, ये यदि वार्ड नम्बर 1 में है तो मुझे बताईये प्लान्ट की लोकेशन डिफेक्टीव लोकेशन क्यूं है, हमने ये बात जब लैण्ड एक्वीईजिंग हो रही थी तक ये बात कही थी आप इस जगह प्लान्ट नहीं लगायें प्लान्ट को शहर से 5 कि.मी. देर लगाये क्योंकि ये शहर की उत्तरी दिशा में है ये जब हवा चलती है तो पूरा शहर इसके राख से सफर करता है। इसके अलावा इसमें से जो पृथक गैंसे निकलती है मेरा निवेदन है सल्फरडाईऑक्साईड..... बताईये सल्फरडाईऑक्साईड का क्या हो रहा है, सल्फरडाईऑक्साईड की बरसात हो रही है, मेरा खेत इसके पड़ौस में है हम लोग इसके भुगत भोगी है और स्थिति ये है जितनी तरफ में लोग है सल्फरडाईऑक्साईड एवं एच. सी. एल. जो दो प्रोटक्ट ऐसे खतरनाक है जो हमारे लिये बहुत ही घातक हैं तो मेरा निवेदन है आप लोग इनकी बातों में नही आयें, मैं बहुत क्लीयर कहता हूं क्योंकि आपकी कॉपी अलग है और मेरी कॉफी अलग है इसलिये मेरे को तकलीफ है की आप लोग डाटा सही नहीं रखते, बेवकूफ बनाते कम्पनी के हिसाब से आप डाटा है जो सही हमें बताना चाहिये क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट है टोटली अधूरी है। ये सिर्फ इन्फोर्मेशन है। इसके बाद में एन्वायरमेन्ट असेसमेन्ट कमेटी (EAC) इसका आपने कोई हवाला नहीं दिया इसमें, इसके बाद ई.ए.सी. में टर्म ऑफ रेफरेन्स (TOR) का हवाला नहीं दिया, (TOR) के बाद में आपकी कम्पलाईन्स वापिस ई.ए.सी. के सामने जानी चाहिये थी उसके बारें में आपने कोई उल्लेख नहीं किया आपने, इसका मतलब ये हुआ और तो बेवकूफ बनाने का जरिया और कोई नहीं है, आपने जितनी बार जो प्रिवेन्सन बताये है वो एक भी, उसके आपने लगभग 250 पेज की रिपोर्ट दी है इसके अन्दर 8 पेज पर रिपोर्ट दी है। It is not all desirable मेरा निवेदन है कि ई.ए.सी. की रिपोर्ट में क्या कहा ई.ए.सी. ने, ई.ए.सी. की कम्पलाईन्स क्या हुई वो आपको हमें बताना चाहिये की भाई ई.ए.सी. की फस्ट मिटींग में ये आया, टी.ओ.आर. के अन्दर ये आया टी.ओ.आर. की कम्पलाईन्स में ये दिये है और इसकी पालना कैसे हुई? इसके अलावा मेरा निवेदन है अभी मैं सुन रहा थ की इनकी क्रेडिट रैंकिंग बहुत बडिया है मुझे एक बात बताईये आपने इतना पर्यावरण का काम यहां हो गया, यहां पर प्लान्ट चल रहा है आपने इनका कभी मूल्यांकन किया है आप देख रहे है हम देख रहे रोज दिन भर धुंआ निकल रहा है पूरी तरह से धुंआ निकलता है हम जब शुरु में पहली बार कह रहे थे की धुंआ निकलेगा तो इनके लोगों ने कहा की नही हमारा आधुनिक प्लान्ट है इससे कोई धुंआ नहीं निकलेगा, आप खुद देख लिजिये कितना धुंआ निकल रहा है। कितनी सल्फरडाईऑक्साईड गैस निकल रही है। कितनी बाकी गैसें निकल रही है, क्या स्थिति है कहां

प्लान्ट है कहा इनका कम्पलाईन्स है, कहां डस्ट का पर्टिकुलेट है यहां जो इसकी परमिशन दोगे तो 2.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष और 2.74 मिलियन टन प्रतिवर्ष का प्रोडक्शन होगा..... आई समझ.....इसके लिये किते ट्रक चाहियेंगें, कितने ट्रक कितनी मिट्टी उठायेंगें और कितना उसमें पर्टिकुलेट होगा, कितना सिलकोसिस बनेगा, कितनी दूसरी सांस की बिमारियां बढेगी ..... की मेरा निवेदन है कि आप ये आंखे मिंचकर काम नहीं करे..... मैं जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करुंगा की आपके लिये बहुत बडी रेसपोन्सब्लिटी का काम है ये बडे लोग है, बड़े लोग बेवकूफ बनाते है यहां तामजाम ईकट्ठा कर दिया और हम पूरी जिन्दगी भुगतेंगें फिर आपका इम्प्रेशन होगा तो चीजें लाईन में आयेगी। पर्यावरण अधिकारी से मेरा निवेदन है कि ये आपकी नाक के नीचे हो रहा है, हम लो ये चाहेंगें की इसके उपर तुरन्त एक्शन लेंवें..... क्योंकि आपके एक्शन नहीं लेने से..... आपने ये रिपोर्ट पड़ी है, ये कानून के मुताबिक है क्या? जब ये कानून के मुताबिक नहीं है तो इनको अलाउ ही नहीं करना चाहिये था, इस रिपोर्ट से आपकी उससे अपलोड की है मैने जब कल मंगाई तो उन्होंने मेरी साईट पर भिजवाया। Which is not enroll as per rule. तो मेरा निवेदन है कि कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। सब बेवकूफ बना रहे है, बाहर कुछ और बताते है अन्दर कुछ और करते है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मेरा निवेदन है कि ये कम्पनी के जो हैडस् है यहां बैठे है हेमेन्द्र जी इनसे भी आज में मिला, मेरा निवेदन है आप सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग है जो लोग अनपढ़ है उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करें। ये उद्योगपति उद्योगपति रहेंगें, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप हमारी खेती की सारी जमीन ईन्होने ले ली, मुझे बताईये बच्चे क्या खायेंगें, भूखे मरेंगें, इन्होने मेमोरेन्डम दिया है इनका कमीटमेन्ट था ये बताये जितने लोग डिसेबल/हटाये गये क्या उन्हें आपने जमीन दे दी क्या? क्या उन्हें पुर्नवास कर दिया? क्या उन्हें आपने बच्चों के लिये व्यवस्था कर दी? क्या आपने उनके रहने के लिये घर बना दिये? क्या आपने सारे काम अपने कर दिये? आपने जो बना रखा है फाउन्डेशन, फाउन्डेशन एक बहुत बड़ा घोटाला है, अम्बुजा फाउन्डेशन बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपको निवेदन कर, अम्बुजा फाउन्डेशन 30 प्रतिशत खर्च करता है 70 प्रतिशत घोटाला करता है। ये सब लोगों से किसी से पूछियें की टांके के अन्दर 30 हजार देते है गवर्मेन्ट से कितने उठाते है एक लाख उठाते है, मुझे ये बताईये इत्ता सारा घोटाला तो मेरा निवेदन है आप जिला अधिकारी, आपकी जिम्मेदारी है की आप जनता के साथ रहकर सरकार के हिसाब से काम करें और ये फर्जीवाड़े वाली कम्पनी है इनको सबक सिखायें..... तभी जाकर किसानो का भला हो सकता है मेरा निवेदन है कि आप गांव वाईज मिटिंग बुलाईये, अभी जैंसे इन्होने तालाबों की बात की है इन्होने 5 तालाबों के नाम बतायें हैं। उन्होनें कहां के नाम लिखवाये है गुगल्ड़ा का तालाब, आगोला का तालाब, ज्ञान ताबाल, अर्जन तालाब एवं लाकोलाव तालाब किसी का नाम नहीं बतायेगें, ये नाम बतायेगें तो स्पष्टिकरण देना पड़ेगा कि यहां 10 कि.मी. में इतने तालाब है। 10 कि.मी. परिधि में कम से कम 16 तालाब तो मुन्डवा के है और रूपासर, मुन्डवा, ईनाणा, खेरवाडा एवं डीडयाकलां के अन्दर 15 है पानी का इरीगेशन का बंधा है। इनका नाम ही नही लिखा। आप ये बताये किसको जिम्मेदार ठहरओगें। कम्पनी वालो ने फर्जिवाड़ा कर लिया। मेरा निवेदन है कि पहले जो अधिकारी

रिपोर्ट पेश कर रहे थे वो कम से कम बताये को आदमी है एवं उनसे सारा डाटा लेके इनके खिलाफ एस. आई. टी. से जांच कराये ताकि ये फर्जी रिपोर्टे बनानी बन्द करे। पहले भी इसी तरह के कृत्य किये है। हमेशा ये फर्जी रिपोर्टे बनाते है यहां आके कुछ ओर कहते एवं वहां जाके कुछ ओर करते है। जिसकी वजह से जनता परेशान है। आपसे निवेदन है कि आप जितनी पूरी ये रिपोर्ट है इसे पढ़े इसमें कुछ भी क्लीयर नहीं है और ये इसी पर पर्यावरणीय स्वीकृति चाहते है, क्या स्वीकृति चाहते है, कौनसी मशीनें चलेगी, कितने हॉसपॉवर की चलेगी, कौन लोग इन पर कार्य करेंगें। मैं आपसे निवेदन करता हूं यहां पर खेत है ईनाणा के लोगो के एवं ड्राईवर है बिहार के। किसानो की जमीन यहां के लोगों की गई है और 200—300 कि. मी. दूर के लोगों को नौकरी देते है। यहां कोई बच्चों को नौकरी नहीं है। अभी पर्यावरण की अनापत्ति के चक्कर में अम्बुजा फाउनडेशन में कुछ बच्चों को लगाया है 8,000—10,000/— रुपयें महीनें में, 6000/— रूपये में कितने दुख की बात है। प्लांट लग रहा था उस समय कलक्टर साहब बोले कि इनकी बात सुनों और हमने इनकी बात पर विश्वास किया लेकिन सब विश्वासघात है। पिछली बार की जो रिपोर्ट है उसमें 200 लोगों को रोजगार का वादा किया था लेकिन आज मेरे हिसाब से 90 लोग नहीं है। आप बतायें इस फैक्ट्री का इन लोगों को क्या फायदा। ये जनता के अन्दर भयंकर असंतोष है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप इनके सभी तत्थ्यों की जांच करें तथा इन पर पूरा एक्शन लेवें। इसी बीच ए. डी. एम. नागौर ने कहा की आप चिंता न करे आपकी रिकोर्डिंग हो रही है ये बिना एडीट के दिल्ली भेजी जायेगी, आप लोग इसकी प्रति सूचना के अधिकार के तहत ले सकते है। फिर सहदेव चौधरी ने कहा की मेरा निवेदन है कि आप लोग जांच करें हम जो तत्थ्य बोल रहे है और उसी के अनुरूप काम करों। जो किसानों के साथ फ्रॉड किया है। अम्बूजा के अधिकृत लोगों ने लिखा है कि जो अधिकतम पैसा होगा वह देगें लेकिन किसानों को पैसा ही नहीं दिया एवं बेवकूफ बनाकर ले लिया। धोखाधड़ी भी एक कानूनन एक जुर्म होगा। मैं डिप्टी साहब से निवेदन करूंगा कि आप इन तत्थ्यों की जांच करें। लोगों में इतना असंतोष क्यों है क्या कारण है। मेरा निवेदन है कि इन पर 420 का केस किया जाये। हमारे बच्चें दूसरी जगह क्यू जा रहे है, चोरीयां क्यो हो रही है, लॉ ऑडर की परेशानी क्यों हो रही है। क्यों कि इनके खेत तो आपने ले लिए अब ये खेत में जायेगें माईनिंग को रोकेगें तो आप रोकोगे कि यह काम मत करों तो मुझे बताये कि क्या करें, सुसाइड करे, आप बताये हम क्या करें, आप भी सलाह दो आप भी हमारे पार्ट हों। यदि प्रशासन समाज का पार्ट है। प्रशासन जिसकी गलती है उसे लेफ्ट—राईट लो। कम्पनी के ये जो अधिकारी यहां पर बैठे है आप जो पानी के जो टांके बनाते है उसका पैसा फाउण्डेशन केन्द्रीय सरकार से उठाते है और जो यहां का सीएसआर का पैसा 3.16 करोड़ पूरा रखा है, बैंकों का सीएसआर यह लेते है। ये सब जगह का फर्जिवाड़ा करते है तो मेरा निवेदन है कि एडीएम साहब से कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है आने वाले समय हमारे जिले का इण्डस्ट्रीयलाईजेशन होने वाला है। इस परिपाटीयों को सही कर दोगे तो प्रशासन एवं जनता को तकलीफ कम होगी। पहले जो अधिकारी थे उन्होनें जमीन का अनुमोदन कर किया अरे भाई कलक्टर का आदेश कहां है, स्कूल का, रास्तों का, पशुओं का क्या

लगातार -12

किया? नक्शें में कहीं है क्या, जुबानी अलोट कर दी, तहसीलदार ने एन्ट्री कर दी कि सरकार ने अलोट कर दी। सरफेस राईट कलक्टर का अधिकार है। माईनिंग डिपार्टमेटन केवल माईन अलोट करता है। सरफेस राईट के लिए कलक्टर को आवेदन करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि ईनाणा के लोगों के खेतों के रास्ते बन्द कर देगें। माईनिंग के कोने पर पशु घुमते है जो लोगों के खेतों में चले जाते है इससे लोग परेशान है। किसानों की जमीन कोडियों के भाव ले ली। मेरा प्रशासन एवं पर्यावरणीय अधिकारियों से निवेदन कि ये छोटा मुद्दा नहीं है, इसका सही ढंग से निर्णय करावे ताकि सही ढंग से व्यवस्थायें हो सके। साथ ही साथ मेंरा निवेदन है कि जो भी ग्रामीणों की समस्याऐं है उनका समाधान करने की कोशिश करे।

कालीबाई ने कहा आओ साहब पधारों एम. एल. ए. साहब पधारों ....नारे बाजी अरे भाईयों आप चुप रहो तो, दूसरों की भी तो सुनो, अरे सुनों तो सही कई मुन्डवा बचाओं, मुन्डवा बचाओं चुप रहो थोड़ा दूसरों की भी सुनो........आप बोल रहे हो फैक्ट्री बन्द करो वो बन्द करों तो मुन्डवा वाले औरतो वास्ते कई करियों मने बताओ, आज अम्बुजा फैक्ट्री आई तो सारी औरतें बैंकों में जाती है हमारे पास बैंक बैंलेस है। मुन्डवा का कोई मर्द आकर पूछा हमको तुम्हारे क्या समस्या है? अम्बुजा फाउन्डेशन ने आज हमें आगे बढने का मौका दिया है। आज सब चीज मिल रही है भैया सब मिल रही है। नारेबाजी शुरु कर आगे नहीं बोलने दिया तथा लगातार जोर–शोर से नारेबाजी करने लगे।

एस. डी. एम. साहब ने कहा ध्यान दिजिये शान्ति बनाकर के रखें आप अपनी बात आसानी से रख सकते है सभी शान्ति बनाये रखें। नारे बाजी चलती रही.......सभी शान्ति बनायें रखे प्लीज अम्बुजा हाय–हाय के नारे लगते रहे।

नारायण बेनीवाल राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पाट्री विधायक, खींवसर ने कहा एक बार सब लोग नीचे बैठे फिर सुरेन्द्र दोतड़ ने कहा जो भाई बन्धु आये हुये है वे नीचे बैठें जो हम लोगों के साथ इस मिटींग में आये है वो एक बार नीचे बैठे, एक मिनट शांत हो जाईये सब लोग शांत नीचे बैठे एक बार शात हो जाईयें जितने भी भाई साथ आये सब लोगों से अपील है आप लोगों को बिल्कुल भी नाराज व निराश होने की आवश्यकता नहीं है एक बार शान्ति व्यवस्था बनाये। माननीय विधायक जी पधार चुके है सब अपनी बात रखेंगें। अब सब लोगों के दिल की जो पीड़ा है अब सब के दिल की जो पीडा है सेम–टू–सेम एक राय है आप सब लोग एक बार शान्ति बनायें। एक तो अम्बुजा मे दलाल घणा है दलाल थोडा कम होणा चाहिये, दलाल बहुत ज्यादा है जनता ने खराब करन आला दलालों से काम कोनी। दलाल घणा है भाई दलाल ज्यादा होने से अम्बुजा में अणारा आदमिया ने नौकरी लगावे कोनी बारें रा आदमियां ने नौकरी लगावे अटारा आदमिया ने अम्बुजा आला नौकरी दी हुई जका बेरोजबार मिनख है वा मिनका ने अम्बुजा नौकरी दी रे तो बताओं। बेरोजगार मिनका ने अम्बुजा नौकरी दी कई। झूठी बडाया करे फालतू री क्यूं मिनका ने खराब करो भई थें।

Nanita

लगातार -13

बेनीवाल जी ने कहा सारे भाई एक बार शांत हो जाये। एक बार बैठ जाओ, शान्ति से सुने। एस. डी. एम. साहब ने कहा सभी बैठ जाईये आराम से सभी अपना पक्ष रखेंगें एक बार बैठ जाईयें शान्ति से बार–बार शान्ति से बैठने का निवेदन किया गया। सारे भाई एक बार शांत हो जाये।

देखो सुनो एक बार एक मिनट सब लोग सुनो बात, सभी बैठ जाईये आराम से एक बार सभी लोग शान्ति से बिराजे। सारे जन प्रतिनिधी ओर आपके हितों की बात करने वाले यहां आये हुये है इनकी बात सुनों ढंग से। थानेदार जी आप व्यवस्था बनाना चाहते हो या नहीं, व्यवस्था बनानी की नहीं बनानी, तो इनको इधर निकालों आप सबको ईधर आयें ऐसा मत काम करो जैसे ईस्ट इन्डिया ने किया ना आपस में लड़ने दिया लोगों को, यह काम मत करो, आप लोग ईधर आओं। सब लोग आपस में क्यूं लड रहे हो, ईधर आके बैठ जाओं, भाई अम्बुजा के पक्ष में हो तो पक्ष में रहो, कोई बात नहीं मुझे पता है आप लोगों के हित सध गये आप पैसों वाले बन गये, अम्बुजा के कारण ये भी हमें पता है लेकिन ये जो गलत बात करोगें ना यहां तो फिर ठीक नहीं रहेगा ये भी ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना, सब लोग आये है सबकी ईज्जत बराबर है। ये सिर्फ अम्बुजा सीमेन्ट का जो सिस्टम है उसके जो इनकी जन सुनवाई है उसमें अपने विचार रखने आये है ये आपसे लडने के लिये नहीं आये है। अम्बुजा ने आपको गांव वालों को गांव वालों से लड़ने के लिये तैयार कर दिया। थोडी बहुत तो शर्म करो आप लो शर्म नहीं है क्या आप लोगों को। ऐसे लड लोगें इनसे? शान्ति से बात है शान्ति से अपना पक्ष रखों। इन लोगों ने जो ठीक था, आप चुप रहिये, आप चुप रहो पहले, आप प्रतिनिधि हो क्या अम्बुजा के, क्या हो आप अम्बुजा में, चुप रहो गलत बात है यह। एस. डी.एम. साहब ने बोलने की कोशिश की तो उन्हें भी चुप करा दिया, एस.डी.एम. साहब रुको। ऐसी परिपाटी मत बनाओं जैसे ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने लोगों को लड़ा कर राज किया के नहीं किया 300 साल यहां, तुम भीर धक्के खाओगें यहां कल, अम्बुजा के सामने यह ध्यान रखना। इस बार कोई नहीं बचायेगा तुम्हें, फालतू की बात कर रहे हो ये जन प्रतिनिधि बावले है जो आपके यहां आये है। ऐसे हा हो से कर लोगे आप, की 4–5 आदमी अम्बुजा के पक्ष में आ गये और यहां व्यवस्था बदल दोगे, इस गलत फहमी में मत जिना आप ठीक है ना। आप बात सुनो ईधर आके आप यहां बैठों, अपने –अपने विचार रखो आप सबको बुलायेंगें एक –एक बात बताना, ये बावले है क्या लोग जो आये है गांवों से बैठों एक बार, कोई भी व्यक्ति किसी का नारा नहीं लगायेगा, आपको जो जो आपत्ति है उस आपत्ति को थोडा ढंग से देखियें आगें जो जितनी भी जन सुनवाई हुई उसके अन्दर कम्पनी ने यही ढर्रा अपनाया। अभी विधान सभा के अन्दर हमारे वन एवं पर्यावरण मन्त्री जी , जो सोशल मिडिया पर आप लोग और बच्चे देख रहे होंगें मैने जो प्रश्न लगाया था की अम्बुजा शहर के अन्दर स्थित है या बाहर है? तो उन्होने कहा की 4 किलोमीटर दूर है ये तो अपने बडे नेताओं के हाल है की जो उनकी आंखे है जो पट्टी बांधने अधिकारी जैसा कहते है ना वैसा वो लोग बयान देते है, आप लोग आपस में क्यूं लड़ रहे हो बताओ सब जन भाई अम्बुजा भी यही रहेगी, आप ईनाणा, मुन्डवा, खेरवाड आप लोग ही काम करोगे यह हमारा ध्येय है ट्रर्का, वर्का थेही लगाजो माने

ईमानदारी उ कोनी लगानी ट्रर्का, पण ऐ ट्रर्का लगा ऐसे आपस में तो मत लडों, थे कुण सूं लड रया हो थाकां भयाउ लड रैया हो थोडी बोत शर्म करो। आप चुप रहिये, चुप रहिये आप, बहस नहीं शान्ति रखों। है ना ज्यादा होशियारी नहीं, ठीक है ना, आप एक बार बैठ जाओं। आप ईधर आओ सब लोग, आप अम्बुजा के अलावा जो भी हो ना ईधर इन सबको ईधर बैठाओं कुर्सियों पर और सामने सबको बैठा दो। बैठ कर आराम से होगी जन सुनवाई ऐसे क्या लड़ने आये है एक दूसरे से, मजाक समझ रखा है ऐसी होती है क्या जन सुनवाई, हमने तो आज जक ऐसी जन सुनवाई नहीं देखी। जन सुनवाई होती है की अपने–अपने विचार व्यक्त करेंगें लोग की उनको आपत्ति क्या है? क्या इस अम्बुजा से नुकसान है? क्या फायदे है? अभी वो माताजी को पता नहीं क्या –क्या सीखा दिया की अम्बुजा ने ये कर दिया, अच्छा किया, बहुत बड़िया किया। ऐसा नहीं गलत बात और गलत विचारों से अपने आपको किसी पर आक्षेप नहीं लगाना है। आपस में आपको सिर्फ सिस्टम के बारें में बात करनी है, कि इससे घाटे क्या है ? नुकसान क्या है? अभी सहदेव जी है हमारे सरपंच साहब बैठें, चैयरमैन साहब बैठें है किते वरिष्ठ व्यक्ति आये हुये है और आप लोग एक–एक ट्रक जे. सी. बी, लगाके एक दूसरे से लडने को उतारु हो गये है, शर्म आनी चाहिये आप लोगों को । क्या खाक सुधारेगें इस सिस्टम को? ऐसे काम नहीं चलेगा, आप वन बाई वन जो है आप लोग अपनी बाते बताईये अभी से देखिये अभी सहदेव जी यहां बैंठें है मै सविता जी को ये बात कह रहा हूं सबसे बड़ी बात तो ये है की जिस अम्बुजा सीमेन्ट की नींव ही मतलब धोखे ये रखी गई हो जिसकी बुनियाद नींव जो है वो एक धोखा, फरेब और झूठ से रखी गई हो उससे आप क्या सच की उम्मीद करोगे। आप बताईयें में सारी रिपोर्ट लेके आया हूं। शायद आप उस समय नहीं थे ये गजट का नोटिफिकेशन है ए.डी.एम. साहब आप सुनना क्योंकि आप अधिकारी बनकर आये है ये गजट का नोटिफिकेशन है जो आप और हम जारी नहीं करते है सरकार जारी करती है इसके अन्दर पूरे नियम कायदे जो भी है वो सारे के सारे इसके अन्दर लिखे हुये है इसमें क्या होना चाहिये, कहां प्लान्ट लग सकता है कहां प्लान्ट नहीं लग सकता इसके अन्दर अभी विधानसभा में जो प्रश्न आया था, सविता जी मैने आपको उस दिन टेलीफोन भी किया था लेकिन आपने सरकार को धोखे में रखा आप लोगों ने सही जानकारी नहीं दी, सुनो आप मेरी बात इसके अन्दर पूरा लिखा हुआ है ये अधिसूचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 21 जून 1999 की है जिसके अन्दर लिखा है स्पष्ट कतिपय उद्योगों को लगाने के लिये स्थान का प्रतिबन्ध सभी नगर निगमों, नगर परिषद व नगर पंचायत इसके अन्दर कोई भी नया उद्योग नहीं लग सकता ये सरकार का गजट नोटिफिकेशन है और 10 लाख से अधिक आबादी के नगर के चारों ओर 25 किलोमीटर की परिधि में कोई नया बडा उद्योग आप नहीं लगा सकते यह नियम हैं उसके अलावा यह राष्ट्रीय राजमार्गो और रेल्वे लाईन के दोनों ओर 500 मीटर की चौड़ी पट्टी में आप नहीं लगा सकते। आप हो हल्ला कर रहे है आपको पता नहीं है क्या राजमार्ग और रेल्वे ट्रेक के ऊपर अम्बुजा लगा हुआ है। ध्यान नहीं है आपको, है कि नहीं, हित भलेही हो कोई बात नहीं आपका हित है आप अम्बुजा के पक्ष में बोलो लेकिन ये जो बात कहने आये है उनकी बात तो सुनलो उनकी बात आपको सुननी चाहिये। वो आपको क्या कहते

Savita

है। ये जो इआईए रिपोर्ट इस कम्पनी ने पेश की है इसके अन्दर यह लिखा की अम्बुजा सीमेन्ट प्लांट शहर से 2 किलोमीटर दूर है। क्या एडीएम साहब दो किलोमीटर दूर है। अम्बुजा का प्लांट आप बता दो, ऐसे तो आप मुन्डावा ही श्रीलंका में बता दो तो हम वापिस चले जायेगें। ये कोई बात हुई क्या, मजाक समझ रखा है सिस्टम को। इस प्रस्तावित प्रयोजना में केवल चार नाडी और तालाब बताये है 10 कि.मी. की परिधि में। आप गुगल पर देखो कि कितने नाडी और तालाब है। ये मै और आप नहीं कह रहे है। ऐसे मजाक समझ रखा है ऐसे क्या जन प्रतिनिधि मर गये क्या सारों को अम्बुजा ने खरीद लिया। हम जिन्दा मक्खी नहीं निगल सकते है। फिर हम आपके खिलाफ भी कार्यवाही करेगें। एडीएम साहब आप भी देखो कि कितने नाडी और तालाब है एवं कितने इन्होंने रिपोर्ट में बताये। कितना केचमेंट एरिया है कितने तालाबों को इन्होनें खराब कर दिया। कितनी गौचर है जिसको ये खा गये, कितने रास्ते बन्द कर दिये, मजाक समझ रखा है। 33 तालाब है इन्होनें रिपोर्ट में क्या लिखा है बता दे अम्बुजा का कोई प्रतिनिधि यहां आके अपनी रिपोर्ट में पेश करें। कहां है अम्बुजा का प्रतिनिधि बोलिये यहां आकर। न्याय बड़ा दुर्धभ है। इनको एक–एक चीज हम बतायेगे इनका क्या टेकनिकल फॉल्ट है। कहां हम मजबूर है यह बताने यहां आये है। आपको हम पर भरोसा है तो शान्ति से बैठे एवं सुने। अम्बुजा का प्रतिनिधि कौन है यहां आये और बताये। एडीएम साहब द्वारा इकाई प्रतिनिधि को बुलाकर रिपोर्ट को दुबारा क्लीयर करो कि आपने कितने नाडी एवं तालाब बताये है। साथ ही माननीय विधायक महोदय द्वारा जिक्र किया गया कि आपकी ईआईऐ रिपोर्ट में पेज नम्बर 06 में पैरा नम्बर 08 में लिखा है नियरेस्ट विलेज/टॉउन/हाईवे/रेल्वे स्टेशन/वाटर बॉडीज इसमें सब कुछ लिखा है। अम्बुजा प्रतिनिधि श्रीमान **लोकेश श्रीमाली** द्वारा बताया गया कि यह जो रिपोर्ट यहां पर दिखाया गया था वो संक्षिप्त विवरण है यह जो ईआईऐ रिपोर्ट है प्रशासन को भी दिया है और गांव के प्रधान को भी दिया गया है एवं इसकी ओर भी कॉपी आपको प्रोवाईड कर दिये जायेगी। माननीय विधायक महोदय द्वारा दुबारा पुछा गया कि कितने नाडी एवं तालाब है। प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ईआईऐ में पेज नम्बर 96 पर 09 तालाब बताये है डिडयाकलां तालाब, खेर गांव का तालाब ईनाणा तालाब, । इस रिपोर्ट की प्रति पूरी की पूरी आपको दे दी जायेगी। जिसमें लिखा हुआ है तालाबों का पूरा विवरण। माननीय विधायक महोदय द्वारा फिर से पुछा गया कि कितने नाडी तालाब है ये रिपोर्ट किस–किस को दोगे, आप यही बताइये कि कितने आसपास जल स्त्रोत है आपके 10 किमी के एरिये में। इकाई प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि यह जन सुनवाई है वह माईनिंग एरिया–।। के लिए है तो इसके आस–पास के एरिये के तालाब 09 है। माननीय विधायक महोदय ने फिर बताया कि मै 25 तालाब बता रहा हूं उनका क्या होगा। यह रिपोर्ट में क्या घर से बना के लाया हूं। माननीय विधायक महोदय द्वारा पुछा गया कि रिपोर्ट की प्रति सरपंचों को दी है या ग्राम प्रधान को। प्रतिनिधि ने बताया कि सबको दी है। इस पर माननीय विधायक महोदय द्वारा पुछा गया कि ईनाणा का ग्राम प्रधान कौन है, आपको दी है क्या। ईनाणा के ग्राम प्रधान ने बताया कि दी है लेकिन अंग्रेजी में होने के कारण समझ नहीं आया। माननीय विधायक महोदय द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट जो संक्षप्ति विवरण हिन्दी लिखा हुआ है

लगातार -16

उसमें गांवों के नामों शुद्ध नहीं लिखे गये है। माननीय विधायक महोदय द्वारा एडीएम साहब से निवेदन किया गया कि इस प्रकरण में यह आपत्ति दर्ज करों कि हमारे यहां का जो ज्ञान तालाब है वो प्राचीन तालाब है जहां हमारे देव श्री तेजा जी महाराज अपने बैंलों को छोड़ के गये थे वो केवल 100 मीटर की दूरी पर है। बामण्डा नाडा, खेर गांव का तालाब, बेंतरी नाडी, ददाणी तालाब, जानासही द्रगाह तालाब, मोटूलाव तालाब, पौखण्डी तालाब जो सारे शहर की प्यास बुझाता है, लाखोलाव तालाब, लोर्डिया तालाब भड़ाणा का, भडाणा का गांवाई तालाब, तुर्कडा नाडा ईनाणा, तुंदलाव नाडा, नरादणा का गावांई तालाब 4 किमी, डिडिया का भरनाडा, डिडिया का डेला नाडा, रूपासर की दंड नाडी, दुवासिया तालाब डिडिया का, ईनाणा गांव तालाब, गंवाई मोहनी नाडीयां, डालून्डा नाडा ईनाणा, हरचन्द तालाब, समलाव नाडा ये सब माईन्स के ऊपर है ,रुपाली नाडी, चौकड़ी नाडी, खेरवाड का गंवाई तालाब, पू नाडी, धा नाडा, धाईन्दा, नई नाडी, विश्नाणी नाडी डिडिया कलां, कुम्भाराव तालाब और बैकुण्डा नाडी डिडिया कलां है। माननीय विधायक महोदय द्वारा बताया गया कि अभी इन तालाबों में गुगुल फोटो के माध्यम से पानी देखा गया है। ये मै नहीं कह रहा हूं ये गुगल कह रहा है। इतने सारे नाडी तालाब, इनमें से पांच नाडी तालाब बिलकुल खनन क्षेत्र के किनारे पर है। इनका केचमेन्ट एरिया भी दबा लिया गया है। कितना केचमेन्ट एरिया है वो बताओ एवं पानी का प्रवाह कैसा है कितना केचमेन्ट एरिया खराब किया है। बताओं? अम्बुजा प्रतिनिधि श्रीमान **लोकेश श्रीमाली** द्वारा बताया गया कि इस रिपोर्ट में मुख्य मुख्य तालाबों का विवरण था बाकि पेज नम्बर 78 ईआईऐ रिपोर्ट का देखे उसमें वॉटर बॉडीज के नाम से कुल 97 हेक्टेयर एरिया दिखाया हुआ है। 97 हेक्टेयर, मतलब उसमें ये सारी वॉटर बॉडीज कवर हो जाती है। माननीय विधायक महोदय द्वारा बताया गया कि हमे तो ये बताना था कि 10 किमी के एरियें में कौन–कौनसे तालाब है। आपने 96.83 आपने एरिया लिखा है, हो सकता हो कि जो 05 नाडियां आपने लिखी उन्ही का एरिया हो, ये कैसे वैरिफाई करोगे।

ग्राम खेरवाड़ से रामलाल खोजा ने कहा की गांव की श्मशान की भूमि मुयुटेशन जो अम्बुजा के नाम हुआ है हमने धरना भी दिया था अभी तक उस जमीन के लिए पागल ही बनाया गया है। अभी तक वो जमीन मुक्त नहीं हुई है। फाउण्डेशन की तरफ से यह बोला गया है कि यह जमीन के चार दीवारी हम करवायेगें लेकिन वो हमें मुक्त चाहिए चार दीवारी के साथ। हमे शमशान की भूमि तो दो और रही बात तालाबों की हमारे गांव के दो मुख्य तालाब है जो यहां से 08 किलोमीटर की दूरी पर है। गुगल के मेप पर देख लिजिए। मेरे पास गाडिया नहीं है मोटर साईकिल है आप चलो मैं अभी दिखा देता हूं। हमारे गांव की शमशान भूमि को मुक्त कराये। हम एसडीम साहब के पास 10 बार धरना दिया है लेकिन हमे कोई नेतागिरी नहीं चाहिए। हमें हमारे गांव की शमशान भूमि मुक्त चाहिए। इसके लिये हम, सब के पास गये पर हमें कोई नहीं सुनता। विकास के नाम पर पिछले कुछ वर्षों कुछ काम नहीं हुआ लेकिन पिछले छः महीने में अम्बुजा सीमेन्ट फाउन्डेशन ने गांव में अच्छा विकास किया है। विकास के साथ ही हमारे शमशान की भूमि को मुक्त करवाने के लिए आज

एवं यही लेटर दों और वो हमे आज ही चाहिए। नही तो बादमें यहा पर कोई अधिकारी आयेगें एवं आज यहां पर हमारे नेताजी आये हुए है इनके सामने आप अम्बुजा की तरफ से लिखकर दो कि खेरवाड़ की शमशान भूमि है वो आपके खनन क्षेत्र के अन्दर है एवं रही बात हमारे गांव ईनाणा से खेरवाड़ से जाने वाला कटाण का रास्ता है उसका मुयुटेशन भी अपने नाम करवा लिया गया। ठीक है आपने जमीन का पैसा दिया है आप हक जमावों लेकिन आप हमारे गांव के कटाणी रास्ते बन्द करोंगें तो क्या हम हवाई जहाज से जायेंगें। अतः आपसे निवेदन है कि शमशान भूमि को मुक्त करवाओं। हमारे गांव के पुराने रास्ते आपके नाम है उन्हे मुक्त करा हमें दे। नहीं तो अपने हम लोगों को ट्रोलियों में डाल के कहा ले जायेंगें आस–पास के श्मशानों में ले जाये। खेरवाड़ के श्मशान की भूमि हमें आज ही दिलायी जाये।

लोकेष श्रीमाली ने कहा की आपने जो शमशान भूमि का मुद्दा उठाया है हमने उस एरियो को घुमा है। वहां पर एक छोटा सा मन्दिर है। मौखिक रुप से कहा है कि उस शमशान भूमि को चार दिवारी बनाकर सुरक्षित कर देंगें तथा मन्दिर वाला एरिया भी सुरक्षित कर देगें। हमने वहां आश्वासन भी दिया है कि उस भूमि पर खनन नहीं करेंगें और जहां तक तालाब वाली बात है तो हमने 96 हेक्टयर एरिया सेटेलाईट इमेजनरी तकनीक से आस–पास के थोड़ा बहुत पानी दिखा उसे वॉटर बॉडीज के रूप में दिखाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी. एस. आर. टीमे ने गांवों एवं प्रशासन की मदद से उन सभी वॉटर बॉडीज पर कितना कार्य किया है। हमारा पूरा यही लक्ष्य है कि बिना हम पानी को प्रभावित किये इस एरिया को वॉटर पोजेटीव रखते हुए अम्बुजा सीमेन्ट खनन कार्य करेगी। आज हमारा पूरा–पूरा आश्वासन है।

शिवराज मुन्डवा ने कहा कि वॉटर बॉडीज पर प्रदूषण गिरेगा तो उस पर क्या तिरपाल लगावोगें।

जो अम्बुजा सीमेन्ट के प्रतिनिधि बोल रहे है कि एसीएसआर में मारवाड़, मुन्डवा क्षेत्र में बहुत ही विकास कार्य करवाया है। जो–जो विकास कार्य इन्होने करवाया है वो प्राथमिक तक सिमित है। फिल्ड में जाकर देखो कोई कार्य नहीं है जो कार्य 6 महीने पहले जो कार्य करवाये गये थे वो सब अस्त–व्यस्त हो गये है और वह ध्वस्त हो गया है। वहां पर कुछ नहीं है, टीन शेड बनाया गया वह आंधी से उड़ गया है। ऐसा कार्य यह फाउण्डेशन करवाते है।

माननीय विधायक महोदय ने यह कहा कि जो आपने 96 हैक्टयर दिखाया है लेकिन जो खनन क्षेत्र की वाउण्ड्री है जिसमें आपने बताया 635 हैक्टयर खनन क्षेत्र है। 635 हैक्टयर के दोनो–तीनों तरफ जो तालाब है वो क्यों नही दिखायें, वों मैं पुछ रहा हूं दिखाने तो वो चाहिए थे और आपने 4.5 किलोमीटर दूर के तालाब दिखाये है। चौकड़ी नाडी खनन क्षेत्र के सीमा पर है। दूसरा हरचन्द तालाब जो 500 मीटर दूरी पर है। अब आप मुझे बताओं जो आपको देखना था वो आपने देखा नहीं है। आपकी जो भी पूरी बात हो चाहे वों अधिकारी हो या कर्मचारी, अम्बुजा का कार्यक्रम चले तो

लगातार-18

लिखित में दें, उनकी प्रतिलिपि भी लों। मैने अभी विधान सभा में प्रश्न किया था कि उद्योग लगाने के लिए आबादी से दूरी के क्या मापदण्ड है। साईटिंग क्राईटेरिया के हिसाब से 2 किलोमीटर के एरिया में नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अन्दर कोई उद्योग नहीं लगा सकते। सारे विभाग की जिम्मेदारी है। अम्बुजा मुन्डवा से 4 किलोमीटर दूर है। कलक्टर महोदय ने सबसे पहले पत्र में लिखा था कि अम्बुजा सीमेन्ट कम्पनी के लिए आवंटन मुन्डवा की शहरी सीमा से 04 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। वह पत्र है मेरे पास। 4 कि.मी तो छोड़ों अम्बुजा को शहर में ही स्थापित कर दिया है वार्ड नम्बर 01 में है और अम्बुजा की आबादी ज्ञान तालाब के पास है। ज्ञान तालाब के अंगौर में अम्बुजा स्थित है उसको भी दिखा दिया कि कोई तालाब नहीं है। आपने मजाक समझ रखा है। लॉ एण्ड ऑडर की स्थिति खराब ना हो, युवाओं को रोजगार दों और अच्छे कार्य करों, तब तो मजा आये। ऐसे झुठे आकड़े पेश करके पर्यावरणीय अनापत्ति लेलोगें। माननीय विधायक महोदय ने पूर्व चैयरमैन मुन्डवा से पुछा मुन्डवा शहर से बाहर है क्या अम्बुजा।

विक्की सदावत पूर्व चेयरमेन मुन्डवा ने सबको सम्बोंधित करते हुये कहा की जैसा कि विधायक साहब ने कहा की आप लोग आपस में लड़ोगे तो हित होगा तीसरे का। मेरी और से इकाई प्रतिनिधि और पर्यावरण अधिकारी नोट करना चाहे तो निवेदन करना चाहुगां कि कोई भी कार्य चाहे नाडी का हो, चाहे जमीन को हो, चाहे बेराजगारों को रोजगार देने का हो, चाहे पिछली बार गई हुई किसानों की जमीनों का हो, कोई भी काम नियमों को ताक में रखने का काम यहां नहीं चलेगा। अगर कानून में नियम है तो उनको नोट करो ऐसे नहीं कि नियमों को ताक पर रखकर हर चीज की अनुमति दों, प्लान्ट यहां लगा है कई लोगों को रोजगार मिला है कईयों को नहीं, तो आपस में यह सामन्जस्य बनायें की सबको काम मिले। आप लगाओ यहां पे प्लान्ट लगाओ, माईनिंग करों लेकिन सारे के सारे नियमानुसार करो। मैं कम्पनी के राठौड साहब को भी कहना चाहुंगा की आप सबको साथ लेके चलो यहां आप में लड़ने वाला कोई नहीं है। विधायक जी भी मेरे भाई ही है। हम सब अपनी बात रख रहे है लेकिन मेरा प्रशासन से यह अनुरोध रहेगा कि कोई भी बात चाहे जो चाहे नाडी की हो, अंगौर की हो, चाहे दूरी की हो, जो नियमों में हो उसी को करों उसके अलावा नहीं करों और मेरा विन्रम निवेदन रहेगा कि प्लांट लगावों, कार्य करो, परन्तु सभी नियमों को साथ में रखकर करों। बिलकुल मुन्डवा नगरपालिका के अन्दर प्लान्ट लगा हुआ है। मैं यहां कोई राजनीति नहीं करना चाहता। कोई भी नेता आया है तो हम उनके साथ रहे है। आप भी रिप्रजेन्ट हम सबको ही कर रहे हो शान्ति से बैठ के अपना पक्ष अपनी बात रखों, हर चीज नोट कराओं। उसका विरोध तो कुछ काम आयेगा। वरना पूर्व में भी जन सुनवाई हुई है और हो–हल्ला करके चले गये। मेरा पुनः जन सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण अधिकारियों से निवेदन है कि आप कोई भी नियमों को ताक पे रखकर कोई भी काम या अनुमति नही दें जिससे स्थानीय नागरिकों के हित में नुकसान ना हो।

लगातार -19

एक जन प्रतिनिधि द्वारा बोला गया कि वार्ड नम्बर 01 में प्लांट लगी और नगर पालिका से एनोसी ली। बड़े लोग है, बड़ा शहर है, समझदार लोग भी यहां पर विराजमान है फिर इतनी बड़ी भूल कहां हुई कि एनोसी लेकर प्लांट चालू हुआ है और कलक्टर महोदय ने शहर से 04 किलोमीटर दूर बता दिया गया। यह भूल कहां हुई। पूर्व चैययरमैन मुन्डवा ने बताया कि हम तीन नगर पालिकाओं के पूर्व चैयरमैन यहां मौजुद है। अब कौन इसका जिम्मा लेगा कि मैने दी। ये तो लगता हुआ आया है अब जैसे माईनिंग का है तो माईनिंग लगी है तो ईनाणा के सरपंच को पता ही नहीं है कि क्या चीज है क्या नहीं है। ये तो अधिकारी नोट करते है।

माननीय विधायक महोदय ने कहा की के. ई. सी. एन्टरनेशनल के नाम से सबसे पहले ये प्लान्ट सन् 1986 के अन्दर इनका प्रार्थना पत्र लगा। उसको जो भू–आवंटन का दिनांक 18.12.1986 को कलेक्टर से राजस्व ग्रुप शासन सचिव महोदय, जयपुर को जो पत्र गया। इसके अन्दर ये दिया की कृपया उपयुक्त कस्बा मुन्डवा, ग्राम खेण व ईनाणा की सिवायचक भूमि उक्त ईकाई को उद्योग हेतु आरक्षण व आवंटन करने का प्रस्ताव 1001 बीघा शासन सचिव राजस्थान विभाग जयपुर को इस कार्यालय पत्रांक नम्बर इतने द्वारा प्रेषित किया गया था जो अभी वहां पर विचाराधीन है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उद्योग के लिए प्रस्तावित भूमि कस्बा मून्डवा की आबादी से 04 किमी की दूरी पर है। कलक्टर द्वारा पत्र दिनांक 12.12.1986 को पत्र जारी किया गया। जो उद्योग 4 कि.मी. दूर लगना था वो उद्योग इसके अन्दर कैसे लगाया। इसमें किसी की नेक्लीजेन्स रहीं। रेवेन्यू वाले कुछ भी कह देगें लेकिन पर्यावरण में कोई आपत्ति आयेगी तो वो आप नोट करोगे की नहीं। जो पूरानी ईआईऐ रिपोर्ट है उसमें पुरा विवरण भरा हुआ है। उसके अन्दर लिखा हुआ है कि मुन्डवा गांव जिसकी आबादी लगभग 23000 है उसकी दूरी 02 किलोमीटर उत्तर में है। कम्पनी अपने प्लांट को मुन्डवा से 02 किमी दूर बता रही है जबकि बिलकुल अन्दर है। पर्यावरणीय विभाग के इन्वायरमेन्ट साईटिंग फोर इण्डस्ट्रीयल प्रोजेक्ट 1999 कें निमयानुसार नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर कोई भी सीमेन्ट प्लांट नहीं लग सकता। ये जनता जनार्दन है जनता ने फैसला ले लिया ना तो फिर कोई काम नहीं आयेगा बचाने को। अब जैसा कि कह रहे है कि खनन क्षेत्र के अन्दर रेल्वे ट्रैक लायेगें तो फिर कोई ना कोई रास्ता अविरूद्ध होगा। यह सभी बातें पारदर्शी तरीके से हो। इन सभी चीजों का जवाब कौन देगा। सिर्फ फाउण्डेशन से क्या हो जायेगा। विधायक महोदय ने बोला कि आज जो इन सब की क्या–क्या आपत्तियां, कौन–कौनसे केचमेन्ट एरिया है। क्या हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गये है क्या।

सुभाष कन्दोई चेयरमेन प्रतिनिधी मुन्डवा ने कहा ये जो जन सुनवाई है मैं गांव की ओर ये आप का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि गांव के स्वास्थ्य के लिए, रहन सहन के लिए, गांव के पर्यावरण के लिए, गांव का जो पीने योग्य जल है उनकी समस्याओं के लिए और आने वाले कुछ ही समय में हमारी संस्कृति विलुप्त हो जायेगी। मैं आपका ध्यान आकृषित करना चाहुगां कि यहां 13 नाडिया मुख्य है आज भी हम इन तालाबों का पानी पी रहे है। यहां के जितने भी तालाब, नाडी है उन पर

Amrita

लगातार -20

पणिहारिया पानी भरती है। हम सब पानी पीते है, तालाब के पानी के बिना हम लोगो का स्वास्थ्य हकिकत में खराब हो जाता है। यहां जो काबरा जी आये है वो आज भी मुन्डवा से पीने के पानी की केन मुम्बई मंगवाते है। वार्ड नम्बर में 01 में ज्ञान तालाब है एवं 02 नम्बर वार्ड में मौर तालाब है एवं 13 नम्बर वार्ड में लाकोलाव तालाब है, वार्ड नम्बर 15 में बामुण्डा तालाब है, वार्ड नम्बर 03 में छोटा बामुण्डा तालाब है, वार्ड नम्बर 16 में पोकण्डी तालाब है, 17 नम्बर वार्ड में खेतण्डा तालाब है और 01 वार्ड में कल्याणी नाडी है और धनाण्डी नाडी है। वार्ड नम्बर 13 में झुण्डीया और तरली नाडी है। यह सब आज भी पेयजल के स्त्रोंत है। हम वहां पर कोई टैंकर नहीं भरने देते है। जब 2.5 या 05 मैट्रिक टन कोयला रोज जलेगा तो धुआं कहां जायेगा। कही ना कही से धुआं हमारे घरों एवं आसपास में आता है सारे के सारे पेड़ पौधे हरे नहीं है। रेड कलर की टाईले भी सफेद ही मिलेगी। नगर पालिका के कर्मचारी जो डाक यह पत्र अन्दर देने जाते है तो उन्हे प्लांट के अन्दर नहीं जाने दिया जाता है, उन्हे बाहर से भी वापिस भेज दिया जाता है। काफी बार निवेदन किया है कि छोटे – छोटे सफाई कर्मचारी मुन्डवा के रखिये। मुन्डवा के नर्सिंग किये हुए बच्चों को मेडिकल कम्पाउण्ड में रख लिजिये लेकिन प्लांट के अधिकारियो द्वारा कहा जाता है कि उनको तो हम नही रख सकते, रिक्त पद नही है, दूसरे दिन ही 04 आदमियों को भर्ती कर लिया जाता है। नगर पालिका की बोर्ड मिटिंग होनी थी इन्होने कहा कि श्रीमान हम आपसे सम्पर्क करेंगे। आपकी जो भी समस्याऐं है हम सुनेगें। मैंने कम्पनी के कर्मचारी हिमांशु से पूछा आपके प्लान्ट में आवासीय कॉलोनी बन रही है उसकी अनुमति ली आपने, तो कहते है मुझे नहीं पता तथा एस. टी. पी. जिसकी क्षमता 300 केएलडी है उसका पानी रोड़ पर ईधर–उधर फैल रहा है उसका एमओयू ऐसे किया हुआ कि मै कुछ नहीं कर सकता। एमओयू नया बनाने के लिए बुलाया जाता है। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 01 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि एमओयू का निस्तारण नही किया है तो उस केएलडी वाटर को हटा देगें। वर्ष 2021 से मैरे कार्यकाल के 18 महीने हो चूके है। जिसमें सीएसआर फण्ड के मुश्कील से 10 लाख खर्च किये है। माताजी के मन्दिर में इन्होने वहां सिर्फ टाईले लगाई है और कुछ नहीं किया। इन लोगों ने 1000 पौधे लगाये है और ये 3000 पौधो का संकल्प लेते है। ये 3000 पौधे कहां गिनवा दें, मेरे कर्मचारियों को साथ ले लुंगा। 05 जून पर्यावरणीय दिवस इन्होने पुछा की आप क्या कर रहे है तो मेने बताया कि 500 पौधे लगाये है जिनमें से 108 पिपल के है बाकी सारे पौधे है तो बोले हम आपके साथ में मिलकर पौधे लगाना चाहते है लेकिन हम पौधे दे देगें उनको भी पानी नहीं पिलायेगें है तो मैने कहां की पौधे मै दिला दूंगा पानी आप पिला दो। जब पौधों को पानी नहीं पिलाया जायेगा। पेड़ लगाना छोटी बात है पर पेड़ को पालना बड़ी बात है। इन्होने लैण्ड बैंक बना रखा है मै चाहता हू कि एसआईटी से जांच हो। इनका माइनर माईनिंग का एरिया है उससे कम से कम 100 परिवार पिड़ित है वा रोज मेरे घर पर आते है वो कहते है कि जमीन के 1 लाख 1.5 लाख रुपयें में ले ली और किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिये और भविष्य में यदि हमे जमीन की आवश्यकता पड़ी तो बड़ा एरीयर दे देगें। भविष्य तो बहुत बड़ा है। जिसमें से 10–12 लोग तो भगवान को प्यारे हो गये है एवं 05 से 07 लोग

Navita

लगातार -21

गांव छोड़कर चले गये। खेती है नहीं बच्चे आवारा घुम रहे। इनको मैंने बार–बार कहा की ज्ञान तालाब का अंगौर है उसके चार दीवारी करवा दिजिये और तथा ट्रापोटर ड्राईवरों के लिए शौचालयों का निर्माण कराओ। नगर पालिका ने तालाब के अंगौर की देख रेख 04 नगर पालिका कर्मचारी सुबह एवं 04 कर्मचारी शाम को तैनात कर रखे है। मैं अम्बुजा की देख–रेख करु या गांव की।एसटीपी हटाने के बात हुई तो इन्होनें कहा कि हम तो पानी मातासुख से लेते है। जब आप मातासुख से पानी लेगें और कर्मचारी आप बाहर से लायेगें तो पत्थर यहा से ले लो और प्लांट कही और लगा लो, प्लांट यहा क्यू लगा रखे हो आप पूरा मून्डवा ले लो हम कही ओर चले जाते है। ये कहते है हमारे काम सीधे सी.एम.ओ. से होते है हम फण्ड ऑक्सीजन प्लांट में लगा दिया एवं सरकारी कार्यो में लगा देते है। ऑक्सीजन प्लांट तो आये दिन बन्द रहता है। फरवरी में मैंने लिखित में प्रदूषण की रिपोर्ट भेजी थी जिसका आज तक जवाब नहीं आया। इन्होने सेडी नागौर में बना रखी है वहां आने–जाने में हमारे बच्चों के 120 रुपये खर्च होते है। जब प्लांट यहां तो सेडी नागौर में क्यू है यहां पर क्यू नहीं है। सेडी मून्डवा में शिफ्ट किजिये। ये चीमनी में फिल्टर लगाकर रखते है जो 12 घण्टे के लिए वैध रहता है, रात को हटा दिया जाता है। ज्ञान तालाब को तो आप निकलते समय देख सकते है। पानी का केचमेन्ट एरिया पूरा लेप्स हो चूका है। पानी आने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है नहीं तो पानी इतना आता था कि पानी रोड़ पर आता था।

एक यहां पर मंगरा है अम्बेडकर भवन के पिछे 15 बिघा में इन्होने वहां पर मैगजीन का स्टोर बना रखा है। उसके आस–पास के खेत वाले मेरे साथ आये है कि उनकी एक पीड़ा है कि ये लोग कहते है कि रात को रखवाली करने के लिए खेत में रूकते है तो बिलकुल भी प्रतिबन्धित करते हे कि आप ना तो चाय बनाओंगे ना ही खाना बनाओंगें। किसान यदि चाय और खाना खेत में नहीं बनायेगा तो कहां बनायेगे।

सहदेव चौधरी ने कहा कि मेरा निवेदन है कि अम्बुजा ने कितने पेड़ काट दिये यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होने किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली और पहले बहुत पेड़ काट दिये है और इनकी अभी लैण्ड एक्वाईजेशन हुआ है उसके अन्दर हजारों पेड़ है और अभी जो आपकी रिपोर्ट है उसके अन्दर बताया गया कि एक जगह 35 पेड़ एवं एक जगह 45 पेड़ है। कुल 80 या 100 पेड़ है। ये बताओं ये कैसे सम्भव है। आज रिपोर्ट दी है उसका कोई सत्यता का कोई मतलब ही नहीं है। प्लांटेशन जो है चूपचाप पेड़ काट लेगें और वाह क्यों इसके अलावा इनको वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि वन विभाग से अनुमति ली जाती है तो इन्हे कई गुणा पैसे जमा करवाने पड़ेगे और प्लांटेशन करवाना पड़ेगा। इनका जो प्लांट है उसमें 33 प्रतिशित एरियें में प्लांटेशन करना था। प्लांटेशन को ही बफर जॉन बताया है जो कि पर्यावरण को सुरक्षित करेगा। कोई प्लांटेशन नहीं किया गया और ना इस एरियें के अन्दर है। मेरा निवेदन पर्यावरण अधिकारियों से है कि इन्होनें प्लांटेशन नहीं किया है पालना नहीं की है तो इनसे पुछे कि पालना क्यू नहीं की है। खनन क्षेत्र के पास स्थित खेतों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा वॉल नहीं बनायी। जिससे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी

होती है। अतः मेरी अधिकारियों से निवेदन है कि आप साथ सही तरीके से कार्य करते है तो हमारा सारा कार्य सही तरीके से हो सकता है। साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि सारों की पीड़ा है उनकी एसआईटी से जांच करवाये ताकि बड़े लोगो का पता लग से की कितने बड़े लोग है। मुझे बताये कि सारी रिपोर्ट जो झारखाण्ड़ महादेव नाम की कम्पनी है उसको बनानी चाहिए। बिना अर्थोराईज्ड कम्पनी के इनका प्रतिवेदन कैसे स्वीकार कर सकते है। आपकी कोई लिस्ट तो होगी कि कौन–कौन सी कम्पनीयां है जो पर्यावरण की रिपोर्ट बनायेगी। इस रिपोर्ट में किसी कम्पनी का नाम नहीं है जो किसने इसका सर्वे किया है। ये सारा फर्जी काम है। एडीएम साहब से मेरा निवेदन है कि कोई अर्थोराईज्ड कम्पनी ही नहीं है, अर्थोराईज्ड कम्पनी को अपने तत्थ्य पेश करने चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि ऐयर का कहा सर्वे किया, उन्होने पानी का कहां सर्वे किया, लोकेशन कौन–कौनसी थी, कब–कब किया और किस पीरियड से किया। मुझे ये बताओं की रात्री को 2 बजे को ऐयर पोलुशन का सर्वे बताते है। पानी का टायम बतायेगें कि दिसम्बर से लेकर फरवरी तक का। क्या मतलब हुआ इनकी लोकेशन सही नहीं है। पुरी रिपोर्ट को पढ़ा जाये तो पुरी रिपोर्ट ही फर्जी है। ना रियलिस्टीक है, ना तत्थ्यात्मक है, ना कानून सम्मत है, यह एक तरीके से फॉर्ड है। जो ईआईऐ रिपोर्ट आपके पास सबमिट हुई उसमें क्या कमेन्टस आये। इसका एक्जामिनेशन किस आदमी ने किया और क्यो नहीं इन्होने प्रोपरली जांच की। इस तरह से पहले गड़बड़ हुई। पहले ही रिपोर्ट में जांच सही हो जाती तो यह स्थिति नहीं होती और अब इनकी आदत पड़ गई। मेरा निवेदन है आप यह जांच करवाओं कि इन्होने कितने पेड़ कटावे है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कम्पनी जिम्मेदार है ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है। रीको ने आपको लिस्ट ऑफ ट्रीज दी है, प्लांटेशन दिया, रीको ने पेमेन्ट दिया है, आज लाखों पेड़ो का पेमेन्ट दिया है। मुझे बताईये कि उन पेड़ो का क्या हुआ। आज जो आप 35 और 45 पेड़ बता रहे है। अपनी रिपोर्ट देखिए। आप कम्पनी के हैड है आपकी कम्पनी के लोग फॉर्ड कर रहे है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज सारे किसानों के अन्दर असंतोष है जो एरिया के अन्दर जो एवरेज है उसके हिसाब से पेमेन्ट करों। इसके अलावा जा आपने कमेन्टमेन्ट किया। पहले जो अधिकृत अधिकारी थे उन्होने लिखकर दिया है कि हम पेमेन्ट उसी अनुरूप करेगें। कायदे से तो आप जमीन खरीदने के लिए अधिकृत नहीं थे लेकिन हमारा निवेदन है आपने खरीदी है तो किसानों को पैसो दो नही तो आने वाले समय में यह आन्दालन ऐसा होगा कि आपको माईन्स में घुसने नहीं देंगें और स्थिति आपकी बिलकुल विपरीत हो जायेगी। मेरा प्रशासनिक अधिकारियो से निवेदन है कि समय रहते इस पर ऐक्शन लेवे और इस कार्यवाही को देवे कि इन्होने जो फॉर्ड किया उसका निस्तारण हो। आप एक जोईन्ट कमेटी बनाये। जो सारी स्थिति को ग्रामीणों के साथ बैठकर रिव्यू करे और इनकी समस्याओं का समाधान करे। साथ ही रोजगार बहुत बड़ा ईश्यू है। आज फैक्ट्री बाहर के लोगो को यहां पर लायेगी तो लोगो का आपस में झगड़ा होगा और फैक्ट्री के गेट में एन्ट्री नहीं होने देंगें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करू कि यह रोज बढ़ता जा रहा है। आपने सुबह बुलाया तो यह हजारों बच्चे यहां आये है कि इनको रोजगार मिलेगा। कम्पनी का सिस्टम है कि ये धत्ते देते रहते है किसी को कोयले का दे दिया,

Dhunita

किसी को ट्रांसपोर्ट का दे दिया, किसी को ट्रकों का दे दिया, किसी को फैक्ट्री का दे दिया, किसी को सीमेन्ट का दे दिया क्या पता कितने झांसे दिये और वो लोग चले गये। कम्पनी का सिस्टम है कि किसी भी अधिकारी को यूज करके थ्रो कर देते है। मेरा निवेदन है कि बिलकुल स्ट्रीक्ट रूल बनाय कि व्यक्तियों कि समस्याओं का समाधान करे। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो जन आन्दोलन होगा। अगर ये फॉर्ड करते है तो कृपया इनको बन्द करें कि आपने यह फॉर्ड करके सारी एनओसी एवं सारी जमीने प्राप्त की है। इसलिए इनके खिलाफ एसआईटी की जांच करवायें और इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके जो जो लोग दोषी है उनको सजा दिलवायी जाये। धन्यवाद।

लक्ष्मी नारायण मुन्डेल मुन्डवा ने कहा कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो यह जन सुनवाई रखी गई है। इसकी प्रासंगिकता है क्या? हम यहां कुछ बोलेगें और आप इसकी रिकोर्डिंग करोगे और रिकोर्डिंग दिल्ली तक जायेगी और रिकोर्डिंग कही तक भी चली जाय लेकिन उस रिकोर्डिंग की कोई प्रासंगिकता है उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति है क्या? अभी हमारे विधायक जी ने विधान सभा में एक सवाल लगाया और देश का दुर्भाग्य है कि वन एवं पर्यावरण मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ यह कह रहा कि मुन्डवा से प्लांट 04 दूर है। मून्डवा ज्यादा दूर नहीं है। आप यदि नागौर से जन सुनवाई करने और जयपुर से जन सुनवाई करने आ जाते है तो मैं कहता हूं कि आपको इस टेबल पर बैठकर जन सुनवाई करने की बजाय आपको फिजीकली जाकर आपको सारे क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और फिर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। हम पिछले 20 वर्षों से बोलते आये है कि कोई एक भी चीज हमे मिली हो तो बतायें। अगर आपके हाथ में पेन है और वाक्यहि आप इस जन सुनवाई के माध्यम से इस जनता का कल्याण करना चाहते है तो इस टेन्ट के अन्दर जन सुनवाई मत करों सर। विधायक जी आपको बिन्दूवार बता रहे है तो आपको जाकर देखने में क्या दिक्कत है, जाकर देखों कि कितने तालाब है, मून्डवा कितने किलोमीटर दूर है और आप हमसे तो जन सुनवाई कर ली आप अपनी जो सबमिट करो उसको पब्लिक करो तो अपने आप ही न्याय हो जायेगा। अब क्या होता कि पांच आदमी अम्बुजा के खिलाफ है तो तीन को ये तोड़ लेगें और बाकी आपस में लड़ते रहेगें। अगर हम संगठित होकर आवाज उठाये तो आप और अम्बुजा हमे नहीं हरा सकते। आपके एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र तो कम्पनी को मिलेगा ही। हमे बार–बार रोजगार का झांसा दिया गया। दो–चार ट्रक चला लेते है सीमेन्ट ढोने के लिए वो भी अब ट्रेन आने के बाद बन्द हो जायेगा और अम्बुजा को आपसे कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओं क्या मून्डवा नगर पालिका क्षेत्र जितनी ट्रके खड़ी है। अगर ये अम्बुजा सीमेन्ट प्लान्ट एक प्रतिशत भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होता तो 2–3 हजार ट्रक वाले मून्डवा में आते है उनके शौचालयों के लिये कोई कॉप्लेक्स का निर्माण भी करवाया क्या? आज ये ट्रक वाले कहां जाते है बताओं? ज्ञान तालाब की अंगौर है वहां शौच जाते है। स्वच्छ भारत मिशन जो पूरे भारत में ऐतिहासिक कदम था। उस मिशन की यहां धज्जियां उड़ती है। क्या यह रिपोर्ट फाईल करेगें कि स्वच्छ भारत मिशन में इन्होनें जो धज्जियां यहां उड़ायी है मून्डवा की स्वच्छता की

क्या इनपर कोई जुर्माना करेगा। पर्यावरण के जिला अधिकारी जो यहां बैठे है मेडम क्या आप इसमें कुछ कहेगें। स्वच्छ भारत मिशन में जब इनको पता था कि ट्रक वाले आयेगें तो उनके शौचालय की व्यवस्था कौन करेगा? हम गांव वाले? हमारे नाडी अंगौर? ये अपनी बाउण्ड्री के पास कॉम्पलेक्स नहीं बना पाये। किस बात की स्वच्छता रखेगें, किस बात का पर्यावरण का ध्यान रखेगें। लेकिन हमे ये पता है कि होने कुछ नहीं है। आप अपनी फोरमलिटी पूरी करके जाओंगें। अगर आपके अन्दर एक प्रतिशत भी जब कोई आदमी किसी पद पर आसीन होता है तो कोई कसम खाकर आसीन होता है। अगर आपको उस कसम की एक प्रतिशत भी हवाला है तो सर हम सब को छोड़ दो हमने क्या कहां क्या नहीं कहां। आप फिजीकली जाकर जांच करों और आप अपने स्तर रिपोर्ट बनाकर लेके जाओ और उस रिपोर्ट को पब्लिश कर दो तो मैं इस जन सुनवाई की प्रासंगिकता मानूंगा।

सहदेव चौधरी ने दुबारा कहां कि जो जमीन इक्वाजेशन की है उसके अन्दर ट्रक पार्किंग का प्रोविजन कर रखा है और मास्टर प्लान में इसकी जगह है तो मेरा निवेदन है कि तो ये ट्रके बाहर क्यूं खडी रहती है? पुलिस और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि मास्टर प्लान को देखे। ज्ञान तालाब के पास में राईट साईड में अन्दर की तरफ वो ट्रक पार्किंग के लिए है तो उस पार्किंग को इन्हे यूज करना चाहिए। बिना मतलब सड़कों पर खड़ी रहती है। दूसरा मेरा निवेदन है कि इन्होनें कम से कम 20 बीघा जमीन जो अम्बुजा ने ज्ञान तालाब का कब्जा कर लिया। यह बहुत बड़ा ईश्यू है। मेरा एडीएम साहब और तहसीलदार जी और एसडीम साहब जी से निवेदन करूंगा कि राईट साईड ऑफ दी वॉल है जो है उत्तरी दीवार वो करीब करीब 20 फीट अंगौर के अन्दर है और 20 बीघा जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। मुझे बताये कि एक तरफ आप किसी को भी एक बीघा नहीं करने देते हो, किसी को सौ मीटर नहीं करने देते हो और ये कितनी जमीन एनक्रोचमेन्ट कर रखा है। कृपया चैक करे और हमें दे। अगर हमारा लोकल प्रशासन एक्टीव है तो 90 प्रतिशत एक्टीविटीज हो सकती है। हम लोगो ने नौकरी की है अगर आप स्ट्रीक्टली काम करोगें तो चीजे सब लाईन में आयेंगी। आप इधर–उधर होवोंगे तो बात खत्म हो जायेगी। जो मौके का अफसर होता है वह बहुत बड़ा अफसर होता है। वह जो रिपोर्ट बनाता है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस सीडी को कोई नहीं देखेगा लेकिन जो आपकी रिपोर्ट को हर आदमी देखेगा कि आपने क्या लिखा है। अगर आज आप रिकमण्ड करते हो तो कि इनको पर्यावरण स्वीकृत नहीं दी जाये क्योंकि यह रिपोर्ट झुठी है गलत है। इसकी पुनः जांच की जाये और नई एसआईटी गठित करके और पूरे प्रकरण की जांच की जाये। ये सब सक्षम हो। क्यां आप लोग इस जांच के लिए सहम्मत हो साथ ही लोगो ने इसका अभिवादन किया। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप एक ड्रास्टीक स्टेप ले, बड़ा कोई नहीं होता है बड़ा कानून होता है और कानून का पालन करने वाला उससे भी बड़ा होता है वो सही तरीके से इम्पलिमेन्ट करता है और चीजे व्यवस्थित हो जाती है। समस्या हमारे हजारों लोगो की है, बच्चों की हैं और हमारे जीवन यापन की है। कितने लोगो को मान लिजिये पर्यवारण स्वीकृति सही नहीं हुई और अगर मान लिजिय यहां धुंआ ऐसे ही निकला आज पर्यावरण मोनीट्रिंग है मुझे बताओं

ना कि आज प्लांट के अन्दर आपका कमेटमेन्ट था कि डेली मोनीट्रिंग करेगें तो कहां थी आपकी रिपोर्ट यहां बड़े–बड़े डिसप्ले लगाये कि इस टाईम पर SO_2, O_2, NO_2 इती है और हवां के अन्दर कणों का मीटर लगाये एवं रेगुलर इनका डिसप्ले करवायें जगह–जगह यह आपका काम है। अम्बुजा ऐप लगा दिजिये और अम्बुजा ऐप पर डाल दिजियें और ऐवरी केन सी मुझे उस जगह पर जाना चाहिए की नहीं जाना चाहिए। मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या है। आज टेक्नोलोजी है। टेक्नोलोजी की यहां रिपोर्ट में भर रहे है कि साहब टेक्नोलोजी की वजह से हम सब कुछ करेगें लेकिन मेरा यह निवेदन है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ ओर है। क्योंकि इनकी यह समस्या है कि ये प्राईवेट नोकर है और प्राईवेट नोकर अपने मालिक को नाराज नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है कि आपका डन्डा होगा तो इनको कम्पलाईन्स करनी पड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़िये और जनता के साथ जुड़िये तो मेरा निवेदन है जितने भी हमारे भाई लोग है उनको रिलीफ मिलेगी एवं जनता का रिलीफ मिलेगा।

लक्ष्मी नारायण मुन्डेल मुन्डवा ने कहा की नंदीशाला के लिए हम पिछले 2 साल से जमीन मांग रहे है। हमे नगर पालिका से एनओसी मिल गई है और सरकारी जमीन बता दी कि नन्दीशाला के लिए जमीन चाहिए। दो साल से हमारा चैयरमैन घुम रहा, हम घूम रहे है और नन्दीशाला के लिए जमीन हमें नहीं मिली और हमारे गांव की 75 बीघा जमीन गौचर जमीन जो अब्दूल रहमान प्रकरण में आने के बाद इसको पूरी तरीके से मना कर दिया कि गौचर और नाडी तालाब अंगौर अलोट नहीं होने चाहिए। सैकड़ो नाडी तालाब की जमीन अलोट है। अभी तो ताजा ताजा उदाहरण है कि 75 बीघा जमीन मून्डवा की एवं एक और 135 बीघा खेण की। खेण वालों ने एक साथ दिखाया और एकराय होकर लड़े ओर उन्होनें अपनी जमीन छुड़वा ली। मून्डवा में कुछ किन्तु परन्तु रहा लेकिन आज भी 75 बीघा जमीन गौचर जमीन अम्बुजा ने बॉउण्ड्री निकालकर दबा रखी है। इसके कागज अभी आज हम दे देगें क्या प्रशासन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर सकता है। नन्दीशाला के लिए दो साल घुमा दिया। 75 बीघा गौचर जमीन अलोट करने के लिए 10 मीनट भी नहीं लगाये। आपको कागज रख सकते है। ही क्या यह जमीन छड़वा सकेगें है ऐसा भी कोई आश्वासन दे सकते है क्या? आपके आश्वासन का जनता को इंतजार रहेगा। हम उसे छुडाके हमें दिलाई जायें।

सहदेव चौधरी ने कहा की सरकार से सेन्शन की परमीशन आई है 1001 बीघा में उसके अन्दर जितनी भी सरकार की जमीन अंगौर एवं गौचर थी तो उन्होने कहां की इसको शामिल नहीं किया जाये। इन्होंने क्या किया कि इस जमीन के टूकड़े को अलग से अलोट करवाया लोकल कलक्टर से और उसको फ्री नहीं किया तो मेरा निवेदन कि उसकी दूबारा से वापिस नोट शीट बने कि ये गलत अलोट हो गई कि अब वापिस दिलाये। वहां निर्माण कुछ है नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है गांव को वापिस दिलाया जायें ताकि गांव के काम आ सके।

शैतानराम मास्टर, ईनाणा ने कहा की ईनाणा का हरचन्द तालाब 1500 बीघा का अंगौर था पुराने समय में। कलक्टरी के रिकोर्ड में उसका सूचना के अधिकारी में ली जिसमें कांट छांटकर 950 बीघा अंगौर तालाब के लारे बता दियो। आज की तारीख में तालाब का अंगौर को लारे मौखा पर बतायों गयो है और निचले बाण्डे खेण काणी बता दियों। आं वास्तविक्ता मैं सूचना अधिकार से सूचना ली है पहले पांच किमी थी जो की 4 कि.मी. दूरी पर बता रखी है। पंचायत समिति की बिल्डिंग से 4 किमी बता दियों। पंचायत समिति की बिल्डिंग से जबकि आधा पाव कि. मी. दूर भी नहीं है, मौके पर ऐसी बाते है और ईनाणा से खेण का जो रास्ता दिलाया पूरो गांव लड़ के बड़ी मुश्किल से लियों। पहले 10 फूट है नी पट्टियों की दीवार काड़ कर कहां कि ये 10 फूट का रास्ता ले लो। फिर ईनाणा, खेण, रूपासर और पुरी तरह से मून्डवा ने सहयोग किया और लड़े तब ये रास्ता 50 फुट मार्ग मिला, नहीं तो कहे की 20 फूट या 30 फूट ही घणा है। कल्क्टरी में उतरी जोन को एक बड़ों अधिकारी आयों और बी टेम हम पुर्नवास के लिये बात हुई पर आज तक पुर्नवास की कोई बात नहीं हुई। ये वास्तविक्ता है।

नारायण बेनीवाल विधायक खींवसर ने कहा की मैंने हाईकोर्ट में 2–3 पी. आई. एल. लगाई है जिसमें से 1 तो पी. डब्ल्यू. डी. के विरुद्ध है जिसका निस्तारण मैंने 6 महीने में करा दिया। आप लोग भी अम्बुजा के खिलाफ पी. आई. एल. दायर करी वो आगे क्यों नहीं बढ़ती, पर मुझे पता है आप लोग पी. आई. एल. दायर नहीं करोगें। आप लोग सोचो आप आने वाली पीढी का खत्म करोगें तो दोष लगेगा। इन्होंने क्या–क्या काम किया है, पर्यावरण को कैसे दूषित किया है। आज की जो जन सुनवाई है इसमें 635 हैक्टर खदान की क्षमता बढाने का विचार है। उससे सम्बन्ध में हमारे क्या क्या विचार हैं उनके बारे में बात करनी है। इसमें 635 हैक्टयर जमीन में लगभग आधी तो किसानों से ली और आधी सरकारी जमीन एक्वायर करी है। उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे है। उसमें खनन कैसे करे, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनके पास सब आकड़े है जब प्राईवेट जमीन का एक्वायीजेशन किया तब एक–एक पेड़ का पैसा किसानों को मिला है, पर पेड कहां गये है? अभी पेड़ कम कैसे आये। मेडम से कहां कि इस चीज को नोट किजिये कि उस समय कितने पेड़ों का पेमेन्ट सम्बन्धित किसानों को किया, सरकारी जमीन पर कितने पेड़ थे उतने पेड़ वापीस लगने चाहिए। ये कह रहे है कि उतने पेड़ लगायेगे लेकिन सिर्फ आकड़ों से नहीं गणना उसकी गणना आप वहां से भी लावों और एक दूसरे सरकारी दस्तावेजों से टैली करों आप, गलत कौन है। रिपोर्टें झुठी बन जाती है। जो गौचर का प्रकरण है और अंगौर की बात कही उसको पिछे दिखा दिया। ये सब रेवेन्यू विभाग का मामला है यह रिकोर्ड दूरस्तीकरण का मामला है। इसके लिए सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय में एडीएम है, एडब्लआर है, कलेक्टर है उसके लिए ये जिम्मेदार है। उनके खिलाफ दावा पेश करों चार आदमी। यहां पर कोई चर्चा करने का मतलब नहीं है।

सहदेव चौधरी ने कहा कि तालाब के नीचे से तो पानी आता नहीं है। पानी तो ऊपर से आयेगा और ये सारा का सारा माईनिंग एरिया है वो एक्चूली केचमेन्ट एरिया है। सुप्रीम कोर्ट का क्लीयर ऑडर

है कि कोई केचमेन्ट एरिया किसी भी व्यक्ति को अलोटमेन्ट नहीं किया जा सकता। वॉटर बॉडीज के अन्दर अलोट नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने ये तालाब नहीं बताया पास में ताकि इनका केचमेन्ट इनक्यूड हो जाये। मेरा निवेदन है कि इस रिपोर्ट को खारिज करे कि न तो किसी ऐजेन्सी ने बनायी, ये फॉर्ड है, उल्टे सिधे आकड़े पेश किये गये है। अतः मेरा निवेदन है इनको चाहिए तो पुनः किसी एजेन्सी से बनवायें एवं बनाकर सही सर्वे कराकर पुनः सुनवाई करे ताकि इसका असर आये। आज जितने मुद्दे हम कह रहें है आप जांच करवाये। जांच करवाकर देखिए क्यों कि हमारी समस्या यह है कि ऐसे तो सारी अंगौर को खोद लेगे और सारी चीजों को खोदकर ये तालाब तो सुखे पड़े रहेगे। क्योंकि माईनिंग के खड्डे हो जायेगें और यह कह रहे की हम 350 बीघा का तालाब बनायेगें। इनकी रिपोर्ट में है। जो तालाब बने है उनको तो पानी भरने दो और वो तालाब बनायेगें अन्त में और प्लांट लगायेंगें लास्ट में रिफलिंग कर पेड़ लगायेगें। आप बताये तब तक मिट्टी को कैसे रोकोगें, मिट्टी तो रूकेगी नहीं और आप अभी सिर्फ 11 हैक्टयर में पेड़ लगाना चाहते हों तो मेरा निवेदन हैं कि पर्यावरण अधिकारी इस रिपोर्ट को पढ़े और देखेगें की पूरा का पूरा फॉर्ड है कुछ नहीं है यह आकड़ों का खेल है। इस रिपोर्ट को निरस्त किया, जाये रिपोर्ट की जांच कि जाये और इस तरह की रिपोर्ट पुनः जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं दी जाये ताकि इनके खिलाफ जितने भी ऐलिगेशन्स है। इनकी जो यह रिपोर्ट पेश उसके लिए एसआईटी गठित की जाये।

सीताराम ने कहा की मैं 2006 से कम्पनी में आ रहा हूं देख रहा हूं प्लान्ट भी लग गया है और अभी तक अम्बुजा से कोई विरोध नहीं है तथा अम्बुजा फैक्ट्री लगनी भी चाहिये और विकास होना भी चाहिये। अम्बुजा से कोई नाराजगी और लडाई नहीं है। अम्बुजा प्लांट जो लगा है, जो जमीन ली है वो कानून के हिसाब से दिन–रात करके लगी है, दिन को रात बता दी और रात को दिन बतायी हुई है। इस बात की लड़ाई कि दिन को रात नहीं होने देगे। अम्बुजा के अधिकारी मेरे पास आये और कहां की सात पीढी मौज करेगी आप हां कर दो पर मैनें नहीं मानी जिसके ग्वाह रामचन्द्र झारोड़ा है, तो मुझे जेल हुई। मुम्बई से फोन आया और कहां की या तो सलटा दो या लटका दो। ज्ञान तालाब के अंगौर में जो नींव खोदी हुई पड़ी है उसका काम बन्द करवाया, उसके ऐवेज में जेल जाना पड़ा। दिन की रात करने वाले प्रशासन के अधिकारी तो है ही पहला काम तो किसान नेता विजय पूनिया ने 1200 बीघा जमीन बिकवाई उसने गलत काम किया। वर्ष 2017 में जो अवैध निर्माण हुआ उसको मेने अवैध निर्माण को रूकवाने के लिए मेने शिकायत भी की, मेने सब कुछ किया, कलक्टर के पास भी गया तो कलक्टर साहब ने अन्त में यह कहां कि हम से झोल मत करों। आपके जो केन्द्रीय मंत्री श्रीमान सीआर चौधरी है, गलत है बिलकुल फैक्ट्री लेकिन वो कहे कि चालु रहे तो चालु रहे, बन्द करे तो बन्द करें। यहां पर श्रीमान सीआर साहब आये तो हमने उनको ज्ञापन दिया। श्रीमान सीआर साहब ने हमें ये कहां कि सीएमओ से आ गया और केसे भी करके एडजेस्ट

होवों लेकिन फैक्ट्री तो चालु रहेगी और काम तो चालु रहेगा। इसकी एनओसी हमारी तरफ से बिलकुल खारिज की हुई है, कायदे से काम बन्द होना चाहिए लेकिन आज जो प्रशासनिक एवं राज के मामले हिसाब से ये काम चल रहा है जो एनआथोराईज, गलत है। मै आपसे ये निवेदन करता हुं कि जो ये दिन और रात का मामला किया हुआ है। कोई भी नियम फोलो नही किया हुआ है। दिन की रात की हुई मून्डवा 4 किमी दूर, कोई पेड़ है ही नही, वन्य जीव प्राणी है ही नहीं, कोई पशु है ही नहीं। एक नम्बर की उपजाऊ जमीन है उसे सरकारी एजेन्सी ने बंजर बताके भूमि दे दी। अकाल के समय में गैहूं और चने होते थे उसको बंजर बता दिया। निवेदन है कि मैं जाँच में आपके साथ हूं तथा एसआईटी से इसकी बिलकुल जाँच होनी चाहिए। जब तक इसकी जाँच नहीं हो रिपोर्ट नहीं आती है तब तक काम बन्द होना चाहिये। किसी भी सूरत में जो ये ट्रकों का मामला बिगाड़ा हुआ और चारों ओर बिगाड़ा हुआ है। अभी भी चेत जाओं अभी भी मौका है। हमारी प्रशासन से निवेदन है कि मून्डवा से एनओसी खारिज की हुई है और मून्डवा के वार्ड में यह लगी हुई है। कायदे से यह जब तक जाँच नहीं हो तब तक रोक लगनी चाहिए तब तक बन्द होनी चाहिए जो बात मेरे समझ में आयी है वो आपको कह दी। अम्बुजा से कोई लडाई नहीं है। अम्बुजा प्लांट जो जो दिन की रात की हुई है। वो हम दिन की रात नही कर सकते। जो कुछ भी हो जाये।

विधायक बेनीवाल ने कहा की पहले जो जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा एडीएम साहब आप नही थे उस समय। उस समय जिन–जिन ने आपत्तियां दर्ज करायी, आपत्ति चाहे सही हो या गलत हो उसके निस्तारण का सारा प्रावधान कानून के अन्दर सब है। आप उसका निस्तारण करोगे। चाहे सही हो उसका निस्तारण ऑन पेपर आनी चाहिये और गलत है ये लिख कर कहों की ये गलत है। जैसे हमने कहां कि 25–30 तालाब है। उसका फिजिकली वेरिफिकेशन करों। हम इन पर क्यों डिपेन्ड है कि उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी और हम इस पर दे देगें। ऐसा भी क्यों है।` आप इसकी सारी जांच करवा ले। अभी तो लीज के मामलें में जन सुनवाई हुई है। उसमें सब लोग इसके विरोध में है। यह सरकार के पास जानी चाहिए। आपके पास जो कागज जाये वो ईमानदारी से किन–किन लोगो ने क्या–क्या व्यू दिये। किस–किस व्यक्ति ने क्या–क्या कागज लगाये। सारी की सारी बात ऑन पेपर जानी चाहिए। ये इतना आप ध्यान मे रखें।

सुरेन्द्र दातोड ने कहा की तीन ग्राम पंचायतों के नाम डिडिया, रुपासर व खेरवाड अगर वाक्य में इनके जन प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा आप लोग भूल जाईयें। जहां हमारी जमीन थी वहां पर बड़े–बड़े गढ्ढे कर दिये और जहां हमारे घर थे वहां प्लांट लगवा दिये। यहां का धुंआ हम लोग पिते है और जब रोजगार मांगने की बात करो तो कहते 200 किमी दूर का आधार कार्ड लेके आवों। ये कम्पनी का नियम है, ये नियम बनाता कौन, ये नियम बनाने का अधिकार कम्पनी के लोगो को दिया किसने है। हम लोग एक जुट होते और अपनी लड़ाई एक जुट होकर लड़ते तो ये नियम कभी नहीं बनते। यहां पर कई ज्वलन्त मुद्दे है जैसे यहां की नाडीयां जा हमारी सनातन सभ्यता का प्रमाण है पिढियों पिढियों से जिनका पानी पीते आ रहे है। इन

कम्पनियों ने सेटेलाईट घुमाकर कह दिया कि यहां नाडी तालाब ही नही है। यहां से आपको एनओसी तो नहीं मिल सकती। मेरे पास कई युवा साथी जो कहते है कि अपने यहां कम्पनी खुल गई, हमे रोजगार नहीं मिलता, डवल्पमेन्ट नही है आप बात करों मैं रोजगार मांगने 10–15 युवा साथियों के साथ पहुंचा और कहां कि रोजगार चाहिए, चाहे आप डाईवर एवं गार्ड की नोकरी दे दो कोई छोटी बड़ी नोकरी दे दो तो कहा अध्यक्ष नौकरी तो नहीं है। कोई ठेका चाहिए तो ले लो तो मैंने कहा मै बिकने वाला नहीं हूं। यहां विधायक साहब से निवेदन करता हूं कि एनओसी के साथ – साथ नागौर के युवाओं की रोजगार की भी बात कर लें। अगर कम्पनी ने 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया तो आने वाले समय में एक बड़ा आन्दोलन होगा।

गांव वाले ने प्रशासन से कहा की खान के 10 कदम पास मेरा खेत है किसी भाई को पैसा नही दिया है तो आप म्यूटेशन न भरे।

गांव वाले ने कहा की मैंने पहली बार इन थानेदार साहब को देखा है जिन्होने ट्रक वालों के 5–5 हजार के चालान काटे। रात को 12 बजे से सुबह तक प्रदूषण होता है। सारे खेतों में चादर बिछी हुई मिलती है। जो इनका फाउण्डेशन है उसमें सारे किसानों को बनाया गैला। किसी भी किसान को जाके ये नहीं पुछा कि यूनिट सफल हुई क्या। एक भी यूनिट सफल नहीं है और सभी की सभी सिर्फ कागजों में चल रही है। लोगो को इन्होंने सिर्फ गुमराह किया है। कुछ लोगों के बिकने से हम लोग तकलीफ पाते है। जिन्होंने तलवे नहीं चाटे उन लोगों ने जेल देखी और पट्टे खायें। ये कम्पनी बहुत गलत है जो लोग बिके है उनके बच्चे सफल नहीं होंगें। जब तक कम्पनी यहां से उठ के नहीं जायेगी तब तक विरोध ही होगा।

गांव वाले ने कहा कि मुझे किसी ने कहा की ईनाणा जहां जो कम्पनी लगी है वो तो 20 साल का गांव है बाद में सबको भागना पड़ेगा। अब फैक्ट्री लग गई है तो ठीक है पर अब नहीं होने देंगें। लिग्नाईट माईन्स का खारा पानी आता है उसको सही करो मत और उत्तर की तरफ लाईट लगा दो जब डस्ट आयेगी तो फव्वारे लगा दो उससे डस्ट बैठ जायेगी।

ज्ञान प्रकाश ईनाणिया ने कहा की हमें प्रेम व भाईचारा से बैठ के समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा। 999 बीघा जमीन आई थी, सहदेव जी भी साथ थे यहां आगे नेता बनके चलने वालों पर भरोसा करते है। आप लोग लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथ में देते हो जो आपको बर्बाद कर देते है। उन्होंने जमीने के मुआवजें को लेकर मुद्दा उठाया कि जमीन के मुआवजें में विषमताऐं रहीं जिसकी वजह से आज यह सब विरोध हो रहा है।

गांव वाले ने कहां कि आज की जो भी कागज कार्यवाही हो उसकी सूचना नगरपालिका को भी दे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, नागौर श्री मोहन लाल खटनवालिया ने कहा कि आपने जो आपत्तियां व सुझाव दिये है उसको नोट करके आगे भेजा जायेगा। ये सब सार्वजनिक होगा और आप इनकी नकल भी ले सकते हो एवं अगर आपकी और आपत्तियां जो रह गई हो वो भी आप दर्ज करा सकते हो।

सहदेव चौधरी ने कहा की आपसे निवेदन है कई लोगों की जमीन अभी दी नहीं है जो लीज एरिये में है। अभी जो आकड़े देखे है 318 हैक्टेयर जमीन सरकारी है इन्होनें ले ली लेकिन जो प्राईवेज 320–25 हैक्टेयर जमीन उसमें से 50 से 52 हैक्टर निजी भूमि किसानों की लीज एरिया के बीच में है उसका निस्तारण अम्बुजा ने अभी तक नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि प्रशासन से कि वो लीज अभी बीच में है अभी वो जोत रहे है तो उनका निपटारा करवाया जाये क्यों कि क्या होगा कि एनओसी की बात कर रहे है और कल ईश्यू आयेगें कि किसानों ने उसका पैसा नहीं उठाया है उन लोगों को न्यायपूर्वक न्याय दिलावें तथा उनकी समस्याओं का समाधान करें। लोकल जो एसडीम साहब और लोकल तहसीलदार साहिबान है वो मौके को देखे और उनकी वास्तविक समस्या का समाधान करें।

रेवंतराम प्रधान ने कहा की एक भाई को 2 लाख रुपये व दूसरे भाई को 5 लाख रुपये से पैसा दिया ये हो रहा है कृपया ऐसा नही होना चाहिये। कृपया सभी किसान भाई संगठित रहे।

क्षेत्रीय अधिकारी नागौर ने अम्बुजा ईकाई प्रतिनिधी को अपने विचार रखने के लिये आमंत्रित किया।

साथ ही पुनः नारेबाजी शुरू कर दी गई।

ईकाई प्रमुख अम्बुजा द्वारा सभी का स्वागत किया गया तथा सभी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया तथा कहा की आपने जो परेशानियों का जिक्र किया है हमने उनको नोट किया है। निश्चित रूप से हमे भी लगता है कि हमने नियम कानून कायदे का हर जगह पूरा पालन किया है। लेकिन अगर कही ऐसा लगता है की जो आपने परेशानियां बताई है तो हम उन परेशानियों का पूरा निदान करने की कोशिश करेंगें एवं उनकी गहराईयों में दुबारा जायेगें। जो भी सवाल आज यहां आये है उनके जवाब हम क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित करेंगें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उपस्थित सभी ग्रामवासियों से एक बार पुनः कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार के विचार/सुझाव/आपत्ति हैं तो वह लिखित व मौखिक प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा के पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

लगातार -31

1. जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर (संलग्नक–क।
2. जनसुनवाई से पूर्व एवं दौरान कुल 335 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई (सलंग्नक–ख)।

उपरोक्त प्राप्त सभी सुझाव/आपत्तियों की प्रति उद्योग को भेजकर निर्देशित किया गया कि जन सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर टिप्पणी करते हुए सीधे ही MoEF & CC को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सविता)
क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थानराज्य प्रदूषणनियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

(मोहन लाल खटनवालिया)
अतिरिक्तजिलाकलेक्टर एवंमजिस्ट्रेट
नागौर (राज.)

लगातार -32

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मुडवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्वि 0.50 एम.टी.पी.ए. से **2.0** एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की **पर्यावरणीय** स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	शैतानराम S/o पुरखाराम जी	9983986585	शैतानराम
2.	माणकराम S/o गोरधनराम जी	7568326396	माणक
3.	हरेन्द्र S/o सुखराम जी	9413169090	हरेन्द्र
4.	नेमसिंह S/o लादुसिंह	9024698638.	नेमसिंह
5.	शिवराज S/o गोपालराम जी	8209874762 ~~8209874762~~	शिवराज
6.	अभयसिंह S/o गोरधन जी	9928774569	[illegible]
7.	गरीबाराम S/o अजयपालजी	9784733049	गरीबाराम
8.	दिनेश कुमार S/o मिश्री लालजी	9928408548	Dinesh
9.	शंकर लाल मीणा S/o मदन लालजी	9509886652	शंकर लाल मीणा
10.	कैलाश S/o मागीलाल जाट	9214876529	कैलाश
11.	दिनेश S/o गोमाराम	8890772321	दिनेश
12.	नारायण S/o रेखाराम जी [illegible]	9001259662	नारायण
13.	प्रदीप सिंह S/o विशाल सिंह	6350520015	[illegible]
14.	Labour Mohan Singh / Mohan Singh	8947051765	[illegible]

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुंडवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता मे वृदि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

15.	महावीर प्रसाद S/o. लक्ष्मी नारायण	9636047679	[signature]
16.	सुरेन्द्र सिंह S/o गजेन्द्र सिंह	6375561036	सुरेन्द्र सिंह
17.	मिहालचन्द S/o आसानन्द जी	[illegible]	[signature]
18.	[illegible] S/o [illegible]	8302248150	[signature]
19.	Shiv Singh / Shrug Singh Rathod	7742909311	[signature]
20.	खेतुसिंह S/o भोमसिंह जी	9829309883	khetusingh
21.	राम लाल S/o रामनिवास	8078686014	रामलाल
22.	जितेन्द्र s. रामचन्द्र जी	6375500315	जितेन्द्र
23.	कुनाराराम	7758904885	Kanaram
24.	रतिराम S/o उम्दाराम	8760066379	रतिराम
25.	राजुराम S/o मदनराम	9660222363	राजुराम
26.	Abdul Raees S/o Abdul Sattar	9414786643	[signature]
27.	Bhom D Charan	7698027853	[signature]
28.	Partha Sarathi Maj	9052973250	[signature]

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मुंडवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्धि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

29.	Manish bishnoi S/o Jagdish Ram	9588877124	[signature]
30.	अमरदीपशर्मा S/o राधेश्यामजी शर्मा	9414679189	अमर
31.	Pappu Ram	9001708032	[signature]
32.	वर्मा S/o पप्पूराम	9799096499	वर्मा
33.	रामस्वरूप S/o उगाराम	9983207494	[signature]
34.	Pradeep Sain S/o Pemaram	9166162907	Pradeep
35.	Jasvinder S/o. रघुवीर सिंह	8432265241	Jasvin सिंह
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मुंडवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्धि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	अम्भुडी (मुंडवा)	9649408559	अम्भुडी
2.	गुडडी (मुंडवा)	7420040940	गुड्डी
3.	जैनी (मुंडवा)	9639356010	जैनी
4.	संगीता (मुंडवा)	8367454198	संगीता
5.	काली (मुंडवा)		काली
6.	गाटू (मुण्डवा)		गाटू
7.	आसुडी (मुण्डवा)		
8.	निरमा (डिडिया)	7728992110	निरमा
9.	पुजा (डिडिया)	8890295173	पुजा
10.	झणकारी (डिडिया)	7728992110	
11.	महिना (मुण्डवा)		
12.	आमना (मुण्डवा)	8824374791	आमना
13.	साहदां (मुण्डवा)		साहदा
14.	सरोज (डिडिया)		सरोज

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुडवा, तहसील—नागौर एवं जायल, जिला— नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.—II एरिया—635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता मे वृद्धि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :—एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.—II परियोजना स्थल, ग्राम—ईनाणा, तहसील— मुण्डवा, जिला :— नागौर।

दिनांक :— 30.09.2022

समय :— प्रातः 11:00 बजे से

29.	गीता देवी (ईनाणा)	7877905882	गीता
30.	राजू देवी (ईनाणा)	9001742147	राजू
31.	सीता (ईनाणा)		सीता
32.	सोनू (ईनाणा)	6375410962	सोनू
33.	संतोष (ईनाणा)	6350688492	सन्तोष
34.	कमा (ईनाणा)		कमा
35.	भगवंती (ईनाणा)	~~78519863~~ 6350509801	भगवती
36.	गुडी (ईनाणा)		गुडी
37.	गीता मेघवाल (ईनाणा)	9828363608	गीता
38.	अणचि देवी (रवपासर)	9571605847	
39.	इन्द्रा देवी (रवपासर)	6367919959	
40.	चंपा (रवपासर)	8890352569	[अंगूठा निशान]
41.	भुगली (मुण्डवा)		
42.	जनत (मुण्डवा)		[अंगूठा निशान]

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मुडवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्धि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

43.	संतोष - ईनाणा	9783685817	संतोष
44.	कमला ईनाणा	9929894708	
45.	शांति - ईनाणा	6378355291	
46.	जमु - ईनाणा		
47.	माया - ईनाणा	8949314705	
48.	शिपू - ईनाणा	-	सीपू
49.	शांति - ईनाणा	9757265388	शान्ती
50.	सुआ - मुडवा	-	
51.	जरीना - मुडवा	-	
52.	बिसमिला मुडवा	-	
53.	ममता - मुडवा	9509965068	ममता
54.	इंद्रा मुडवा	8949972571	इन्द्रा
55.	जेतून मुडवा		
56.	नावी मुडवा		

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मुंडवा, तहसील नागौर एवं जायल, जिला नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल. II एरिया 635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्धि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान – एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल. II परियोजना स्थल, ग्राम ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला – नागौर।

दिनांक – 30.09.2022

समय – प्रातः 11:00 बजे से

57.	मुन्नी देवी - ईनाना	7891189885	मुन्नी
58.	लीला देवी - ईनाना	9636433588	लीला
59.	जेतुनी देवी - मुण्डवा	9799897131	जेतुनी
60.	निरमा सदावत - मुण्डवा	9983882307	निरमा
61.	रुपा देवी - मुण्डवा	9982882937	रुपा
62.	रसाल - मुण्डवा	7850918346	रसाल
63.	कमला देवी - मुण्डवा		कमा
64.	कैलाशी देवी - मुण्डवा		
65.	लीला देवी - मुण्डवा	9680604063	लीला देवी
66.	सुमित्रा देवी - मुण्डवा	6350635304	सुमित्रा देवी
67.	सोनु देवी - मुण्डवा	8875551231	सोनू
68.	तीजा देवी - मुण्डवा	9929232484	तिजा
69.	नरेन्द्र कुमार भट्ट	9928338388	[illegible]
70.	पीयूष वृन्दावासी -	9983671111	[illegible]

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुडवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल – II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्वि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान –एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल – II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला – नागौर।

दिनांक – 30.09.2022

समय – प्रात: 11:00 बजे से

71.	जुबेदा (मुण्डवा		जुबेदा
72.	संतोष (डिडिया)		[अंगूठा निशान]
73.	रामेश्वरी (डिडिया)		[अंगूठा निशान]
74.	रोशन (मुंडवा)	9828435656	रोशन
75.	सल्वाना (मुण्डवा)	9772437899	सल्वाना
76.	रुखसाना (मुंडवा)	9166278861	रुखसाना
77.	मैनाज (मुंडवा)	9166278861	मैनाज
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुडवा, तहसील–नागौर एव जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया 635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्दि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

85.	बबीता प्रजापती	= मुण्डवा	8890108013	बबीताप्रजापती
86.	मंजु	मुण्डवा		मंजू
87.	सरला	मुण्डवा		सरला
88.	काली	मुण्डवा		काली
89.	इन्द्रादेवी	मुडवा	9928861089	इन्द्रादेवी
90.	ललिता	मुण्डवा	9079030026	[illegible]
91.	सरोज	मुण्डवा	9950399106	सरोज
92.	संगीता	खेरवाड	9784674614	संगीता
93.	छोगरकंवर	खेरवाड	8058916758	छोगरकंवर
94.	कमला	मुण्डवा		कमला
95.	रामकवरी	मुण्डवा		रामकवरी
96.	पपु	मुण्डवा		पपु
97.	नूरजहाँ	मुण्डवा	9784458745	नूरजहाँ
98.	फरीदा	मुण्डवा		फरीदा

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुडवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता मे वृदि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

113.	रवातुन बेगम	मुण्डवा	8107999183	रवातुन बेगम
114.				
115.	रुकसाना	मुण्डवा	9828117337	रुकसाना
116.	बिरमीला	मुण्डवा		बिरमीला
117.	डुरी	मुण्डवा		
118.	सीमा	मुण्डवा		
119.	लक्ष्मी	मुण्डवा	9024968002	लक्ष्मी
120.	सुमित्रा	मुण्डवा		सुमित्रा
121.	मनोरी	मुण्डवा		
122.	इंद्रा	रुपासर		
123.	चेपा	रुपासर		
124.	अन्ची	रुपासर		
125.	कमल	मुडवा		कमल
126.	प्रेम	मुण्डवा		प्रेम

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुंडवा, तहसील–नागौर एव जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता मे वृदि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रात: 11:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	बस्तीराम डिडिया कला	9784858607	
2.	अर्जुनराम डिडिया खुर्द	9571561996	
3.	नथुराम डिडिया खुर्द	9166371546	
4.	बलदेवराम डिडिया खुर्द	9461185862	
5.	सुखराम डिडिया खुर्द	9950148302	
6.	आईदानराम डिडिया खुर्द	9636440430	
7.	गजेन्द्र डिडिया खुर्द	9784407894	
8.	सीताराम डिडिया खुर्द	7727099468	
9.	लाखाराम डिडियाकला	9783601063	
10.	सीताराम नराधना	9929009529	
11.	ओमप्रकाश नराधना	9610065584	
12.	परमाराम नराधना	8233310633	
13.	रामचन्द्र जी नराधनियां	7878487365	
14.	छोटूराम नराधना		—

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुंडवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृदि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Mohan Lal Khataniwaliya ADM, Nagaur	9414252652	[signature]
2.	Savita, Ro, Nagaur	9983411222	Savita
3.	Tejraj Charan, AEO, Nagaur	9549820847	[signature]
4.	Hemant Kumar, RSPCB Nagaur	9458381658	[signature]
5.	Prabhat Choudhary, RSPCB, NAGAUR	9782328300	[signature]
6.			
7.			
8.			
9.	सहदेव कुमार	8955325312	सहदेव कुमार
10.	प्रेमसुख कुड़ेला	9413269222	[signature]
11.	परसाराम जेठू	9667785606	परसाराम
12.	प्रेमसुख देवड़ा	9887211787	[signature]
13.	दामोदर राठौड़	9214954010	दामोदर
14.	मनोहर राईका	9680237131	[signature]

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुंडवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.–II एरिया–635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्धि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.–II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला – नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय – प्रात: 11.00 बजे से

15.	मुकेश	9649026066	मुकेश
16.	गजेन्द्र सिंह	9610162629	गजेन्द्र
17.	हरिराम	7023945151	हरिराम
18.	दिनेश	6376614120	दिनेश
19.	विक्रम सिंह	9782627557	Vikesh
20.	गंगासिंह	7568333039	गंगासिंह
21.	रामनिवास	9982495407	रामनिवास
22.	धवल सिंह	8890866917	धवल सिंह
23.	अर्जुन सिंह	8079010803	अर्जुन सिंह
24.	दिनेश राम	9030704919	Dinesh
25.	अमराराम	8094158792	
26.	प्रभुराम		प्रभुराम
27.	नवरतन	9617817280	नवरतन
28.	सुनील		सुनील

उपस्थिति पत्रक

मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मुण्डवा, तहसील–नागौर एवं जायल, जिला– नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल –II एरिया 635 हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्धि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :–एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल –II परियोजना स्थल, ग्राम–ईनाणा, तहसील– मुण्डवा, जिला :– नागौर।

दिनांक :– 30.09.2022

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

29.	शैतानराम S/o नारायणरामजी	9784698641	शैतानराम
30.	श्रवनराम S/o रामदेवजी डिडिया	6377815689	[signature]
31.	नेमाराम S/. रामनिवास–चौंगल	9460035635	NRelangal
32.	गणपतराम S/o. भंवरलालजी चौंगल	9829644419	गणपतराम
33.	फुहलाद राम S/o गोरधन राम	9636531616	[signature]
34.	रामेश्वरलाल S/o कंवरीलाल ईनाणा	9667149104	Rameshwlar
35.	बुधाराम S/o तुलछाराम	9521831583	BUDHARAM
36.	बिशाल	8000860054	बिशाल
37.	रचित	82393205	रचित
38.	भी याला राम	8302830282	भी यालाराम
39.	शिव प्रसाद गौड़.	9680086200	[signature]
40.			
41.			
42.			

पांच जगह नाके

ठक, 200

ो व्यवस्था

मे दो लोगों का रास्ता रोक घटना को दिया था अंजाम

लिया है। पुलिस ने आरोपी को सिंगड़ की सरहद से गिरफ्तार किया है। 28 फरवरी 2022 को सिंगड गांव की सरहद में अलग-अलग गाड़ियों में आए रामनिवास भादू, सत्तू उर्फ शैतान राम बागड़िया सहित अन्य ईंदास निवासी श्यामलाल व जोशियाद निवासी जगदीश कालीरावणा को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर आरोपी फरार हो गए थे। इस घटना में गोली लगने से जगदीश गंभीर घायल हो गया था, जिसके गोली फंसने के बाद आज भी वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उक्त मामले में दो आरोपियों को हाल ही में पांचौड़ी पुलिस ने सत्तू बागड़िया व दिनेश बागड़िया को मादक पदार्थ व 1 लाख 28 हजार नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। फायरिंग करने वाले आरोपी तस्करी में लिप्त थे। लंबे समय से मुख्य आरोपी गिरफ्तार से दूर थे।

हद पर कर ास ला पी

ादू कर

थान ताली ध्यक्ष ाड़ा

माज ध्यक्ष रुपए वणा लोत पत्नी राम देवी को

हैदराबाद से आए श्रद्धालु, अमरपुरा में समर्पित किया 1 किलो चांदी का छत्र, अवलोकन किया

भास्कर संवाददाता | नागौर

भादवा के महीने में बाबा रामदेव के दर्शनों के निमित्त रामदेवरा जाने वाले यात्री प्रवासी हैदराबाद के निवासी लगातार नागौर आ रहे हैं।

रूप में मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न खेलों के मैत्री मैच खिलाड़ियों के मध्य खेले गए। नागौर स्टेडियम में क्रिकेट का मैत्री मैच का आयोजन किया गया। जिसमें नागौर ब्लू और नागौर रेड के बीच मुकाबला खेला गया। आदित्य बनाए। नागौर रेड की ओर से भवानी चौधरी ने 5 विकेट लिए। जवाब में नागौर रेड 167 बना ही बना सकी। नागौर रेड की तरफ से नावेद खान ने नॉट आउट 87 का योगदान दिया। नागौर ब्लू के सुमेर खान ने 6 विकेट लिए। एक और आयोजन बास्केटबॉल में हुआ। नागौर ए व नागौर बी के बीच मुकाबला हुआ। जिसमें नागौर ए विजेता रही।

संखवास.गो माता के लिए आयुर्वेदिक लड्डू तैयार करते गौ भक्त।

35 क्विंटल आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए

भास्कर संवाददाता | संखवास

कस्बे सहित क्षेत्र में गायों को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाया जाकर लम्पी स्किन से बचाने के प्रयास किए जा रहे है। वहीं कस्बे में गोभक्तों ने 35 क्विंटल लड्डू गायों को खिलाए। इस दौरान आनंद सिंह, पुखराज निंबाड़, चंद्रशेखर पारीक, सुनील, विक्रम सेन, राधेश्याम, प्रदीप गौड़, रवि गौड़ आदि मौजूद रहे।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम तल, सहकारी भूमि विकास बैंक, बीकानेर रोड, पुलिस लाइन के सामने,

नागौर – 341001 (राज.) ई-मेल rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक – एफ(नि/क्षेत्रीय-नागौर)/ पी. सु. बो. – 136/1228 दिनांक 29.08.2022

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना विस्तार हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मूण्डवा, तहसील – नागौर एवं जायल, जिला – नागौर के लाइम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल. – II एरिया 685 हेक्ट.) द्वारा लाईम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्धि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 20 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 016 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB / IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना के विस्तार के लिए लोक जन सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैं अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मूंडवा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना विस्तार की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना के विस्तार से सम्बन्धित समूह EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यकारी सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है

1 जिला कलक्टर, नागौर। 2 क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर जिला नागौर। 3 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 4 पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ 6 अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर। 7 उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ मूण्डवा 8 उपखण्ड अधिकारी, जायल 9 जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10 ग्राम पंचायत डीडिया कलां, तहसील- जायल, जिला- नागौर। 11. ग्राम पंचायत ईनाणा, तहसील- मूण्डवा, जिला- नागौर 12 जन सुनवाई उपखण्ड कार्यालय नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर के पत्र क्रमांक न्याय / प्रदूषण / ज.सु. 2022/ 5600 दिनांक 29.08.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना के विस्तार की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 30.09.2022 (शुक्रवार) को सुबह 11:00 बजे, स्थान- एल.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.- II परियोजना स्थल, ग्राम- ईनाणा में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर जिला नागौर को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड - 19 के सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारित निर्देश के अनुरूप एवम अधीन रहेगी तथा सभी सावधानी / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सचिव) क्षेत्रीय अधिकारी

शिक्षा अधिकारी सुखवीर हुड्डा, माणक भण्डारी, विजेन्द्रसिंह, भरत दायमा, रामकिशोर दाधिच, राजेन्द्रप्रसाद सैन, लियाकत अली, तेजसिंह, मुकेश जांगिड़, भंवरलाल बेड़ा सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

आलनियावास। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ओझा व गणमान्य नागरिकों द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम दिन शूटिंग बॉल में एक टीम ने सी टीम को हराकर विजेता रही और क्रिकेट मे एक टीम विजेता रही आलनियावास में मंगलवार को कबड्डी महिला वर्ग व पुरुष वर्ग एवं हॉकी मैच का आयोजन होगा। वहीं इसके अलावा शारीरिक शिक्षक जेठाराम कुमावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजाथल के अनुसार बीजाथल ग्रामपंचायत में पुरुष कबड्डी में दासवास टीम विजेता रही महिला वर्ग में बीजाथल विजेता रही। इस दौरान समाजसेवी ब्रह्मदेव शर्मा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक ओपेंद्र सिंह चांदावत, प्रेम सिंह शेखावत, गिरधारी लाल दमामी, तुलसीराम गुर्जर, विजय कुमार प्रजापत, मनीष शर्मा, रामकृष्ण कालवा, रामकिशोर, रामदेव ठेठवाल, लालाराम जांगिड़, प्रकाशराम, ओमप्रकाश प्रचार, पंकज विश्नोई सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

भंवाल गंगाराम गोलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भंवाल, पीईईओ जसनगर जेसी गोविंदन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसनगर तथा भंवाल उद्घाटन समारोह अध्यक्ष राजाराम दुगस्तावा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, जसनगर उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मूलचन्द सोनी, व्याख्याता परीक्षा प्रभारी ओम प्रकाश व्यास, व्याख्याता चेतनराम इनाणिया, गणपतराम, कैलाश सैनी, किशन सिंह कविया, वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती पूजा मीणा, श्रीमती कामिनी कुमारी, वरिष्ठ अध्यापक बलराम भींचर, शिवदयाल शर्मा, मालाराम सेवलिया, नारायण राम सिंदड़, शारीरिक शिक्षक नेमाराम प्रधान, लक्ष्मण सिंह ओझा, रतनलाल लामरोड, रेखाराम मेघवाल, चेनाराम मुंडेल, सूरजपाल, गणेश प्रसाद, दिनेश कुमार, महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम के प्रधानाध्यापक रूपाराम घटियाला, सुंदर सिंह यादव, अध्यापक रघुनाथ रुणवाल, ग्राम पंचायत सहायक प्रेमसुख इनाणिया, कैलाश चंद शर्मा, तेजाराम भींचर, मिनी बैंक व्यवस्थापक मनोहर सांखला, महेंद्र कुमार चोटिया, शोभाराम बाना, सोहनलाल प्रजापत, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रभारी रामनिवास शारीरिक शिक्षक, नैनाराम मेघवाल, अशोक कुमार कुमावत, विनोद कुमार, समीता चौधरी, सुनीता सहीत समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।

माध्यमिक विद्यालय में पूर्व प्रधान रामप्रताप जाजड़ा, पूर्व सरपंच रामरतन जाजड़ा, सरपंच सुरज्या देवी एवं प्रधानाचार्य भगवती प्रसाद शर्मा ने ध्वजारोहण कर किया। शारीरिक शिक्षक शोकीन, रामकिशोर पिचकिया ने बताया कि प्रतियोगिता के उद्घाटन के बाद कबड्डी का मैच हुआ जिसमें ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान उपसरपंच हरीश सोनी पूर्व सरपंच लक्ष्मणराम मेहरा, सरपंच प्रतिनिधि शिवजीराम फड़ौदा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के प्रधानाचार्य जीवनराम बढ़ियासर आदि मौजूद रहे। इसी तरह लांपालाई में भी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।

मूण्डवा। गांव रूण सहित आसपास के सभी गांवो मे ओलंपिक खेलों का शुभारंभ सोमवार से हुआ। इसी कड़ी में सेठ खिंवराज चोरड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोखा चांदावता में शाला के प्रधानाचार्य लोकेंद्रसिंह शेखावत और दाता गुलाबदास आश्रम के त्यागी संत रामप्रकाश महाराज, संत श्रवण दास महाराज और युवा संत रामवल्लभ महाराज ने मां सरस्वती की तस्वीर के आगे दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। शारीरिक शिक्षक गोपालसिंह ने बताया कि उद्घाटन मैच में स्थानीय बालिका टीम ने खो-खो के मैच में विजय हासिल की। वहीं कबड्डी में ग्रामीण टीम विजय रही।

अमरचंद घाटिया, बनाराम राव, हरराम किरडोलिया, सालूराम बेनीवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रकाश भाकर ने कहा कि दैनिक जीवन में भी खेलों को शामिल करें। जिससे शरीर को स्वस्थ रहने में सहयोग मिलता हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति प्रेरित करें। जिससे बच्चों का सही तरीके से विकास हो सकें। कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षक रामावतार, प्रभारी मोहम्मद युसुफ, विमला चौधरी, गोगा चौधरी, कन्हैयालाल मीणा, शिवराम मीणा ने सेवाएं दी। इस मौके पर बलवीर सिंह, पृथ्वी सिंह, भंवरलाल गुर्जर, बिरमाराम मुवाल, शाहनवाज हुसैन, रामूराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इसी प्रकार जाखली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चार दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर रतनाराम भांमू मुख्य अतिथि व सज्जन सिंह राठौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रधानाचार्य शारदा प्रकाश गुप्ता ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के तहत 444 खिलाड़ियों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया था। इस पर 36 टीमें गठित की गई, जिसमें खो खो की 13, कबड्डी की 8, टेनिस बॉल क्रिकेट की 8, वॉलीबाल पुरूष की 5 व महिलाओं की 2 टीमें शामिल है। सोमवार को आयोजित प्रतियोगिताओं में 205 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों को खेल को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया।

…गाड़ ने किया। इसी तरह उपखंड की ग्राम पंचायत शिंभुपुरा के ग्राम नोलासिया में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का शुभारंभ समाजसेवी किशनलाल जाखड़ ने ध्वजारोहण कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मेवाराम पीईईओ शिंभुपुरा ने की। प्रधानाध्यापक जितेन्द्र सैन ने अतिथियों का स्वागत किया। कबड्डी का उद्घाटन मैच नोलासिया एवं शिंभुपुरा की छात्राओं के बीच खेला गया, जिसमें स्कोर बराबरी पर रहा। शारीरिक शिक्षक दिलीप सिंह व हुकुम सिंह ने सेवाऐं दी। उद्घाटन सत्र में पूर्व सरपंच रघुवीर सिंह, ज्ञान सिंह, जितेन्द्र सिंह, पुरूषोत्तम, सब्बल सिंह, अध्यापक शिवराम धायल, मंशाराम, तुलछाराम, रामदेव मीणा, हीरालाल, रिद्धकरण, रतनलाल, अध्यापिका अनीता कुमारी मीणा, शांतिबाई आदि मौजूद रहे।

रोल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोल में सोमवार को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ मुख्य अतिथि रामेश्वर लाल डिडेल, पंचायत समिति सदस्य, बीरदीचंद भाटी, ओमप्रकाश गौड़, पीईईओ चुनाराम, प्रधानाचार्य दीपमाला ने ध्वजारोहण कर किया। व्याख्याता नरेंद्र डिडेल ने बताया कि मैचों का आयोजन शारीरिक शिक्षक परसाराम बोदारा ने करवाया। मंच संचालन व्याख्याता सुमन चौधरी ने किया।

अनुशा, नगर परिषद, नागौर

DNA 257389

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.), ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: नाप्रनिम/क्षे.का.नागौर/पी.सु.मी.-136/1228 दिनांक : 29.08.2022

पर्यावरणीय स्वीकृति समृद्ध खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मुंडवा, तहसील-नागौर एवं जायल, जिला-नागौर के लाइम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल.-II एरिया 635 हैक्ट) द्वारा लाइम स्टोन उत्पादन क्षमता में वृद्धि 0.50 एम.टी.पी.ए. से 20 एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल 0.16 एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB) 0.58 एम.टी.पी.ए. (Total Excavation 2.74 एम.टी.पी.ए.) से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना के विस्तार के लिए लोक जन सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद मे मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया।
2. और चूंकि मै. अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड यूनिट मारवाड़ मुंडवा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना विस्तार की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 और एसओ.141 ई दिनांक 16.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समृद्ध खनन परियोजना से सम्बंधित समृद्ध EIA/EMP REPORT एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
   1. जिला कलक्टर, नागौर।
   2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर।
   3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   5. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लखनऊ
   6. अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर।
   7. उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ मुण्डवा।
   8. उपखंड अधिकारी, जायल।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. ग्राम पंचायत डीडीया कलां, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
   11. ग्राम पंचायत ईनाणा, तहसील-मुण्डवा, जिला-नागौर।
   12. जन सुनवाई उपखंड कार्यालय नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु./2022/5600 दिनांक 29.08.2022 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समृद्ध खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 30.09.2022 (शुक्रवार) को सुबह 11.00 बजे स्थान-एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.-II परियोजना स्थल, ग्राम ईनाणा मे उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस सम्बंध मे लिखित आक्षेप/ सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिए जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय - सविता क्षेत्रीय अधिकारी

DNA257406

SP REFRACTORIES LIMITED

(Formerly known as SP Refractories Private Limited)
(A Group of Mr. Prabodh S Kale)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND E-VOTING INFORMATION

Shareholders are hereby informed that the 15th Annual General Meeting (AGM) of the members of SP REFRACTORIES LIMITED (formerly known as SP Refractories Private Limited) will be held on Thursday, the 29th day of September, 2022 at 11.30 A.M. at the Registered office of the Company at [illegible], MIDC Industrial Area, Hingna Road, Nagpur Maharashtra - 440016 India to transact the businesses as set forth in the notice of the AGM which will be sent to the shareholders for convening AGM of the Company.

[illegible]

For SP Refractories Limited
Sd/-
Director

Place: Nagpur

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
(Under Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

LOAN ACCOUNT NO. - [illegible] (M/S ABDUL WAHID STEEL & IRON INDIA PRIVATE LIMITED)

[illegible]

QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS GAURAV MERCANTILES LIMITED)

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING

[illegible]

For and on behalf of the Board of Directors
Quint Digital Media Limited

Canara Bank — BRANCH: Kurukshetra

DEMAND NOTICE

NOTICE U/S 13(2) OF THE SECURITIZATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI)

Name of the Borrower & Guarantor	Security agreement with Brief Description of Securities	Date of Demand Notice	Amount as per demand notice (Rs.)	Nature and type of facility
1. M/s. Saurabh Garg [illegible]	[illegible]	[illegible] 2022	[illegible]	OCC & SBOL

[illegible]

Dated: 21.08.2022 Place: Kurukshetra Authorised Officer

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED

PUBLIC NOTICE – AUCTION CUM SALE OF PROPERTY

[illegible]

Jaykay Enterprises Limited

JKE

NOTICE OF 76TH ANNUAL GENERAL MEETING, AND INFORMATION ABOUT E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 76TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Members of the Company will be held through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without physical presence of the Members at a common venue on Tuesday, September 20, 2022 at [illegible] PM to transact the business as set out in the Notice convening AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the applicable rules made thereunder and the MCA General Circular [illegible] issued by the Ministry of Corporate Affairs and [illegible] issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "the Circulars") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

[illegible]

By Order of the Board
Sd/-
Company Secretary

Place: Kanpur
Date: August 29, 2022

The Singareni Collieries Company Limited

(A Government Company)
Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507101, Telangana

[illegible]

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

[illegible]

IMPORTANT

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Photographs of PH Proceeding for " Expansion in LS Production Capacity from 0.5 MTPA to 2.0 MTPA, (Total Excavation 2.74 MTPA) at Marwar Mundwa Limestone Mine (ML -II) (ML No.03/94 & ML Area – 635 ha)
by M/s. Ambuja Cements Limited (Unit – Marwar Mundwa) ,Tehsil: Nagaur , District- Nagaur, State: Rajasthan.
Photos

ग्राम पंचायत

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रुपासर

नरेगा आई सुशियाँ लाई
जितना काम उतना दाम

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
SINGLE USE
PLASTIC
BANNED
1st July, 2022
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर
SINGLE USE
PLASTIC
BANNED
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर

सामुदायिक विकास कार्य
अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन मारवाड़ मुंडवा
अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट
सामाजिक

SINGLE USE
PLASTIC
BANNED
SINGLE USE
PLASTIC
BANNED

PODIUM

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
मैसर्स अम्बूजा सीमेंटस लिमिटेड

PODIUM

PLASTIC
BANNED
PLASTIC
BANNED

PLASTIC
BANNED

श्री
श्याम
मुण्डवा
9782255675

श्री
श्याम
मुण्डवा
9782255675

श्री
श्याम
गुरुवा
9782255675

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

राजस्थान राज्य
मैसर्स अम्बूजा

MEDIA

श्री
श्याम
मुरवा
9782255675

श्री
श्याम
पुस्तक
9782255675